रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2008/फाल्गुन 6, 1929
No. 86] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2008/PHALGUNA 6, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 108(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, सिवाय नियम (3) के दूसरे परंतुक, नियम (3) के उपनियम (2) (i) और नियम (6) उपनियम (11) जो 1 जनवरी, 2009 से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "तल चिह्न प्राप्तांक" से उपरोक्त समग्र श्रेणीकरण के लिए प्राप्त न्यूनतम अंक भार अभिप्रेत है, जिससे किसी अधिकारी को अगली उच्चतर श्रेणी में, यथास्थिति, प्रोन्नति या पैनल में रखने के लिए उपयुक्त समझा जाएगा;

(ख) "काडर" और "काडर पदों" के वही अर्थ हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 में है;

(ग) "विभागीय परीक्षा" से ऐसी परीक्षा अभिप्रेत है जो उस राज्य के काडर को आबंटित या प्रशिक्षण के लिए उस राज्य में तैनात सेवा के सदस्यों के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा विहित की जाए;

(घ) "सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है ;

(ङ) "श्रेणी वेतनमान" से सेवा के किसी सदस्य द्वारा उस श्रेणी में जिसमें उसे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया जाता है, प्राप्त किया गया मूल वेतन अभिप्रेत है ;

(च) "धारणाधिकार" से नियमित आधार पर या तो किसी अवधि के अवसान पर या अनुपस्थिति की अवधियों से ठीक पूर्व धारण करने के लिए, जिसके अंतर्गत ऐसा कालावधि पद है, जिस पर उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और जिस पर वह परिवीक्षा पर नहीं है, धारण करने के लिए सेवा के किसी सदस्य का अधिकार अभिप्रेत है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" से भारतीय पुलिस सेवा का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ज) "स्थानापन्न" से किसी ऐसे पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जिस पर सेवा के किसी अन्य सदस्य का धारणाधिकार है और इसके अंतर्गत किसी रिक्त पद पर, जिस पर सेवा के किसी अन्य सदस्य का धारणाधिकार नहीं है, स्थानापन्न हैसियत में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(झ) 'वैयक्तिक वेतन' से,-

(क) वेतन के पुनरीक्षण के कारण या ऐसे अधिष्ठायी वेतन में किसी कटौती के कारण किसी अनुशासनिक उपाय के रूप में कालावधि पद से भिन्न किसी स्थायी पद के संबंध में उसके अधिष्ठायी वेतन में उसे हानि से बचाने के लिए ; या

(ख) किसी वैयक्तिक प्रतिफल पर आपवादिक परिस्थितियों में,

सेवा के किसी सदस्य को अनुदत्त अतिरिक्त वेतन अभिप्रेत है ;

(ञ) "प्रोन्नत अधिकारी" से भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) के अनुसार किसी राज्य पुलिस सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ट) "प्रोन्नति" से उस श्रेणी से जिसमें वह सुसंगत समय पर कार्यरत है, अगली उच्चतर श्रेणी की सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति अभिप्रेत है ;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ड) "सेवा" से भारतीय पुलिस सेवा अभिप्रेत है ;

(ढ) "राज्य" से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है और इसमें संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है ;

(ण) "राज्य काडर" और "संयुक्त काडर" के वहीं अर्थ हैं जो भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 में हैं ;

(त) "राज्य पुलिस सेवा" का वहीं अर्थ है जो भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 में है ;

(थ) किसी संयुक्त काडर के संबंध में "संबंधित राज्य सरकार" से संयुक्त काडर प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

टिप्पण 1 :- तल चिह्न प्राप्तांक को काडर के भीतर प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा पेनल के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा । सरकार द्वारा तल चिह्न प्राप्तांकों के पुनरीक्षण के भविष्यलक्षी प्रभाव होंगे ।

टिप्पण 2 :- श्रेणी में कनिष्ठतम व्यक्ति निम्नतर श्रेणी में प्रतिवर्तित किए जाने के दायी होंगे यदि नियमित पदों को धारण करने के लिए हकदार सेवा के सदस्यों की संख्या उस श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक हैं ।

3. इन श्रेणियों में वेतनमान और नियुक्ति :- (1) सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय वेतनमान और वह तारीखें जिससे उक्त वेतनमान प्रभावी समझे जाएंगे, निम्न प्रकार से हैं :-

अ. **कनिष्ठ वेतनमान** - 8000-275-13500/-रु. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ।

आ. **ज्येष्ठ वेतनमान** -

(i) काल वेतनमान - 10000-325-15200/-रू. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

(ii) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी -12000-375-16500/-रू. (अकृत्यिक) (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

(iii) चयन श्रेणी - 14300-400-18300/-रू. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

इ. **अतिकाल वेतनमान** - (i) उप पुलिस महानिरीक्षक 16400-450-20000/-रू. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

(ii) पुलिस महानिरीक्षक 18400-500-22400/- रू. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

ई. **अतिकाल वेतनमान से ऊपर** -

(i) अपर पुलिस महानिदेशक 22400-525-24500/-रू. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

(ii) पुलिस महानिदेशक 24050-650-26000/-रू. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

परंतु सेवा का कोई सदस्य भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6क के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी सेवा के चार वर्ष पूरा होने पर ज्येष्ठकाल वेतनमान में नियुक्ति किए जाने के लिए और कनिष्ठ पुलिस श्रेणी में उसकी सेवा के नौ वर्ष पूरा होने पर, चयन श्रेणी में सेवा के 13 वर्ष पूरे होने पर उप-महानिरीक्षक के अधिसमय वेतनमान में सेवा के 14 वर्ष पूरे होने पर और महानिरीक्षक के अधिसमय वेतनमान में सेवा के 18 वर्ष पूरे होन पर नियुक्त किए जाने का पात्र होगा ।

टिप्पण 1 - अतिकाल वेतनमान और उससे ऊपर के वेतनमान की सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा में कतिपय श्रेणियों में प्रोन्नति की बाबत मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा :

टिप्पण 2 . इस नियम में सेवा के चार वर्षों, नौ वर्षों, तेरह वर्षों चौदह वर्षो और अठारह वर्षो को भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) नियम, 1954 के नियम 3 के अधीन उसको आबंटित वर्ष से संगणित किया जाएगा ।

टिप्पण 3 . चिकित्सीय प्रमाणपत्र से भिन्न या संबंधित राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्य के नियंत्रण के परे किसी कारण से ली गई समझी गई या आगे अध्ययन करने के लिए असाधारण छुट्टी, को जो लोकहित में है और जो अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अनुज्ञेय से अन्यथा है, इन श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित सेवा की पात्रता अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ।

परंतु यह और कि सेवा के किसी सदस्य को कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित चरण III आज्ञापक मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा ।

परंतु यह भी कि सेवा का कोई सदस्य, विद्यमान वेतनमान में उस तारीख तक वेतन लेने का विकल्प दे सकेगा जिसको वह विद्यमान वेतनमान में अपनी अगली या कोई पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धि अर्जित करता है या जब वह पद रिक्त कर देता है या उस वेतनमान में वेतन लेना बंद कर देता है । विकल्प का ऐसे आदेशों के अनुसार प्रयोग किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं ।

स्पष्टीकरण 1 . उपर्युक्त परंतुक के अधीन विद्यमान वेतनमान धारण करने का विकल्प, केवल किसी विद्यमान वेतनमान के संबंध में अनुज्ञेय होगा ।

स्पष्टीकरण 2 . उक्त विकल्प, 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगा और उसे वेतन केवल पुनरीक्षित वेतनमान अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3 . जहां, सेवा का कोई सदस्य, उस वेतनमान के विनियमन के प्रयोजन के लिए किसी नियमित आधार पर किसी स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारित पद के संबंध में विद्यमान पद धारण करने के लिए उपर्युक्त परंतुक के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग करता है, वहां उसका अधिष्ठायी वेतन, वह अधिष्ठायी वेतन होगा जो उसने तब लिया होता जब वह स्थायी पद पर विद्यमान वेतनमान को धारण करता जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या वह तब धारणाधिकार रखता जब उसे निलंबित न किया जाता या स्थानापन्न पद का वेतन, जो उसने तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश के अनुसार अधिष्ठायी वेतनमान का स्वरूप अर्जित कर लिया होता, इसमें से जो भी अधिक हो, लिया होगा ।

2(i). सेवा में चयन श्रेणी और इस श्रेणी से ऊपर के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति उस कसौटी के अनुसार गुणागुणा के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ज्येष्ठता को सम्यकतः ध्यान में रखते हुए, विहित की जाए :

परंतु सेवा के किसी सदस्य को, इस नियम के उपनियम (1) के खंड (इ) के उप खंड (ii) में उल्लिखित द्वितीय अतिकाल वेतनमान में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित चरण iv आज्ञापक मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा ;

(ii) चयन श्रेणी और अपर की श्रेणी के वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति उस श्रेणी में उपबल्ध रिक्तियों के अध्यधीन रहते हुए की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए यथास्थिति राज्य काडरों या संयुक्त काडर प्राधिकारियों के लिए प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(iii) केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्रतिनिर्देशों की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी सहमति देगी और यदि केन्द्रीय सरकार उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर सहमति नहीं देती है तो रिक्तियों की उपलब्धता पर सहमति दी गई समझी जाएगी । इस खंड में यथनिर्दिष्ट प्रकट करने वाली स्थिति को उस समय जब यह इन श्रेणियों में प्रोन्नति मे विचार करने के लिए बैठक करती है, अनुवीक्षण समिति के समक्ष रखी जाएगी ।

(iv) सेवा का कोई सदस्य, केवल इन श्रेणियों में नियुक्ति पर चयन श्रेणी और ऊपर की श्रेणी में वेतन पाने का हकदार होगा ।

4. **पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन का नियतन** -- (1) सेवा के किसी सदस्य का आरंभिक वेतन, जिसके लिए वह इन नियमों के अनुसार विकल्प देता है या विकल्प दिया गया समझा जाता है, 1 जनवरी, 1996 या उसके पश्चात् की तारीख से ही पुनरीक्षित वेतनमान द्वारा शासित होगा, जो स्थायी पद में उसके अधिष्ठायी वेतन के संबंध में उस तारीख से पृथक रूप से पुनः नियतन किया जाएगा जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या धारणाधिकार रखता यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के संबंध में निम्नलिखित रीति में धारित किया जाएगा अर्थात् :-

(अ) सेवा के सभी सदस्यों की दशाओं में, -

(i) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन के चालीस प्रतिशत की रकम सेवा के सदस्य की 'विद्यमान परिलब्धियों' में जोड़ दी जाएगी ;

(ii) विद्यमान परिलब्धियों में इस प्रकार वृद्धि करने के पश्चात् वेतन को, तत्पश्चात् संगणित की गई रकम से अधिक अगले प्रक्रम पर पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया जाएगा :

परंतु यह कि,--

(क) यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम इस प्रकार प्राप्त रकम से अधिक है तो वेतन को पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा ।

(ख) यदि इस प्रकार प्राप्त रकम पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक है तो वेतन को उसी वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जाएगा ।

परंतु यह और कि जहां वेतन के नियतन में, किसी विद्यमान वेतनमान में जैसा आनुक्रमिक प्रक्रमों से अधिक वेतन पाने वाले सेवा के किसी सदस्य का वेतन एकीकृत कर दिया जाता है अर्थात् पुनरीक्षित वेतनमान में उसी प्रक्रम पर नियत हो जाता है वहां, सेवा के ऐसे सदस्य के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का, जो विद्यमान वेतन

में पहले जैसा आनुक्रमिक प्रक्रमों के आगे वेतन पा रहा है, अगले प्रक्रम पर ले जाया जाएगा जहां ऐसा एकीकरण निम्नलिखित रीति में पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धियां अनुदत्त करके होता है अर्थात् :-

(क) विद्यमान वेतनमान में पांचवें से आठवें प्रक्रम तक वेतन पाने वाले सेवा के किसी सदस्य के लिए, एक वेतनवृद्धि द्वारा ;

(ख) विद्यमान वेतनमान में 9वें से 12वें प्रक्रम तक वेतन वाले सेवा के किसी सदस्य के लिए यदि 8वें प्रक्रम के आगे एकीकरण होता है, तो दो वेतनवृद्धि द्वारा ;

(ग) विद्यमान वेतनमान में 13वें प्रक्रम से 16वें प्रक्रम तक एक वेतन पाने वाले सेवा के किसी सदस्य के लिए यदि 12वें प्रक्रम के आगे एकीकरण होता है, तो तीन वेतनवृद्धि द्वारा ;

यदि उपर्युक्त यथानिर्दिष्ट वेतन को आगे बढ़ाकर सेवा के किसी सदस्य का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में किसी प्रक्रम पर इस प्रकार नियत हो जाता है जो पुनरीक्षित वेतनमान में उस प्रक्रम से उच्चतर है, जिस पर सेवा के किसी सदस्य का वेतन, जो उसी विद्यमान वेतनमान में अगले उच्चतर प्रक्रम पर या प्रक्रमों पर वेतन पा रहा था, नियत हो जाता है, पश्चातकथित का वेतन भी उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाएगा जिस तक पूर्वकथित कमी होती है :

परंतु यह भी कि वेतन के नियतन को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवा का प्रत्येक सदस्य विद्यमान वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों (जिसके अंतर्गत वेतनवृद्धियों की वृद्धिरुद्ध भी है) यदि कोई हो, के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में कम से कम एक वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा ।

स्पष्टीकरण -- इस खंड के प्रयोजनों के लिए विद्यमान परिलब्धियों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा -

(क) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन ;

(ख) मूल अनुक्रमणिका औसत 1510 (1960 = 100) पर अनुज्ञेय मूल वेतन का समुचित महगांई भत्ता ; और

(ग) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन पर अनुज्ञेय अंतरिम अनुतोष की पहली और दूसरी किस्त की रकम ।

(आ) सेवा के किसी सदस्य की दशा में, जो विद्यमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम पद्धति के साथ विशेष वेतन संघटक प्राप्त करता है, जैसे प्रोन्नति के लिए वैयक्तिक वेतन, लघु कुटुंब मापमान, केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता आदि, और जिसकी दशा में उसी तत्समान भत्ते के साथ पुनरीक्षित वेतनमान में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या वेतन को उसी दर या किसी विभिन्न दर पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, वहां

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन को खंड (अ) के उपबंधों के अनुसार नियत किया जाएगा और ऐसी दशाओं में सिफारिश की गई नई दर से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त भत्ता प्राप्त किया जाएगा ।

टिप्पण - 1 : जहां सेवा के किसी सदस्य की वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 1996 को होती है, वहां उसके पास विद्यमान वेतनमान या पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने का एक विकल्प होगा ।

टिप्पण - 2 : जहां सेवा का कोई सदस्य 1 जनवरी, 1996 को अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन मंजूर की गई छुट्टी से भिन्न किसी छुट्टी पर ही उस तारीख से जिसको वह कार्यभार ग्रहण करता है वहां वह पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का हकदार हो जाएगा और निलंबनाधीन सेवा के किसी सदस्य की दशा में, वह विद्यमान वेतनमान पर धारित जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा और पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्रवाईयों पर अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा ।

टिप्पण - 3 : जहां यथास्थिति खंड (अ) या खंड (आ) के अनुसार यथासंगणित विद्यमान परिलब्धियां सेवा के किसी सदस्य की दशा में पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक हो जाती हैं, वहां अंतर को वेतनमान में भावी वेतनवृद्धियों में समामेलित किए जाने के लिए वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

टिप्पण - 4 : जहां, इन नियमों के अधीन वेतन के नियतन में सेवा के किसी सदस्य का वेतन, जो 1 जनवरी, 1996 से ठीक पूर्व विद्यमान वेतनमान में प्राप्त कर रहा था, उसी काडर में सेवा के उससे कनिष्ठ अन्य सदस्य से अधिक हो जाता है, वहां ऐसे कनिष्ठ सदस्य से निम्नतर प्रक्रम पर पुनरीक्षित वेतनमान में नियत हो जाता है, उसके वेतन को कनिष्ठ वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान में उसी प्रक्रम तक बढ़ाया जाएगा ।

टिप्पण - 5 : जहां, सेवा का कोई सदस्य 1 जनवरी, 1996 को वैयक्तिक वेतन प्राप्त करता है, जो यथास्थिति, खंड (अ) या खंड (आ) के अनुसार यथासंगणित उसकी विद्यमान परिलब्धियों को मिलाकर पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, वहां ऐसे आधिक्य के अंतर को, सेवा के ऐसे सदस्य को वेतन में भावी वृद्धियों के समामेलन किए जाने के लिए वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

टिप्पण - 6 : जहां, 1 जनवरी, 1996 से पूर्व किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया सेवा का कोई ज्येष्ठ सदस्य अपने कनिष्ठ सदस्य से पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन प्राप्त करता है, जो 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, वहां सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन को उस उच्चतर पद में उसके कनिष्ठ सदस्य के लिए नियत किए गए वेतन के बराबर राशि तक बढ़ाया जाएगा और वेतन के बढ़ाए जाने को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए, सेवा के कनिष्ठ सदस्य की प्रोन्नति की तारीख से प्रभावी किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) सेवा के कनिष्ठ और ज्येष्ठ सदस्य दोनों उसी काडर के होंगे और वह पद जिन पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है उसी काडर में समान होंगे ;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों के पुनरीक्षण पूर्व और पुनरीक्षित वेतनमान, जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, एक समान होंगे ;

(ग) प्रोन्नति के समय सेवा का ज्येष्ठ सदस्य कनिष्ठ के बराबर या अधिक वेतन पा रहा हो ; और

(घ) विषमता, इस उप नियम के उपबंधों के लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः होगी, भले ही निम्नतर पद में, कनिष्ठ अधिकारी उसको अनुदत्त किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के कारण ज्येष्ठ व्यक्ति से पुनरीक्षित पूर्व वेतनमान में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन को बढ़ाने के लिए इस खंड के उपबंधों का अवलंब लेने की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण 7 :- उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में, सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन के पुनःनियतन से संबंधित आदेश सुसंगित नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और सेवा का ज्येष्ठ सदस्य, वेतन के पुनःनियतन की तारीख से उसके द्वारा अपेक्षित सेवा पूरी करने पर अगली वेतनवृद्धि का हकदार होगा ।

टिप्पण 8 :- नियम 3 के उपनियम (1) के उपबंधों अधीन रहते हुए यदि, इस नियम के अधीन स्थानापन्न पद में नियत वेतन अधिष्ठायी पद के लिए नियत वेतन से कम है, तो पूर्वकथित को अधिष्ठायी वेतन के उपरोक्त प्रक्रम से अगले प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

टिप्पण 9 :- सेवा के किसी सदस्य की दशा में, जो 1 जनवरी, 1996 से पूर्व हिंदी शिक्षण स्कीम के अधीन हिंदी प्रज्ञा और ऐसी अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए वैयक्तिक वेतन प्राप्त करता है, जबकि पुनरीक्षित वेतनमान में आरंभिक वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए वैयक्तिक वेतन हिसाब में नहीं लिया जाएगा, तो वह 1जनवरी, 1996 से ही या उस अवधि के लिए जिसके लिए वह उतना वेतन लेता है जो वह पुनरीक्षित वेतनमान में अपने वेतन के नियतन पर लेता, पुनरीक्षित वेतनमान में अपने वेतन के नियतन के पश्चात् वैयक्तिक वेतन पाता रहेगा और ऐसे वैयक्तिक वेतन की मात्रा, उस अवधि के वेतन के नियतन की तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि की समुचित दर से संदत्त की जाएगी जिसके लिए सेवा का सदस्य उसे प्राप्त करना जारी रखता ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए "पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि की समुचित दर" उस प्रक्रम पर और उससे ठीक पश्चात् जिस पर पुनरीक्षित वेतनमान में सेवा के सदस्य का वेतन नियत किया जाता है, अनुज्ञेय वेतनवृद्धि की रकम अभिप्रेत है ।

(इ) जहां, सेवा का कोई सदस्य विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखता है और 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् की तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान के लिए विकल्प देता है, वहां उसके वेतन को पुनरीक्षित वेतनमान में पश्चात्कथित तारीख से इन नियमों के अधीन नियत किया जाएगा और विद्यमान वेतन में उसके वेतन

के इस प्रयोजन के लिए वही वेतन होगा जो इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि मूल वेतन को उन परिलब्धियों की संगणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा जो पश्चातकथित तारीख को मूल वेतन होगा, यथास्थिति, खंड (अ) या खंड (आ) के अनुसार यथासंगणित विद्यमान परिलब्धियां हैं और जहां सेवा का सदस्य विशेष भत्ता प्राप्त करता है, वहां उसका वेतन उन परिलब्धियों से, इस प्रकार संगणित परिलब्धियों से समुचित पुनरीक्षित दरों पर विशेष भत्ते के बराबर रकम की कटौती करने के पश्चात् नियत किया जाएगा ।

5. आरंभिक वेतन का नियतन -- (1) किसी सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति का आरंभिक वेतन, कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा ।

परंतु यदि सीधे भर्ती किया गया कोई व्यक्ति, कोई धारणाधिकार धारण करता है या धारणाधिकार धारण करेगा, यदि सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसे लागू नियमों के अधीन किसी स्थायी पद पर निलंबित नहीं किया गया होता, उसके आरंभिक वेतन को निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) वह, परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थायी पद का वेतन प्राप्त करेगा यदि यह सेवा में पुष्टि पर कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हो जाता है ;

(ख) यदि वह सेवा में नियुक्ति से पूर्व कोई वर्ग-1 पद धारण कर रहा था तो उसका वेतन उसी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा जो उसका वेतन वर्ग-1 पद में होता, यदि सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय कनिष्ठ वेतनमान के किसी प्रक्रम पर या उसके निम्नतर प्रक्रम पर होता, यदि सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय कनिष्ठ वेतनमान में कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है, और जहां सेवा में इस प्रकार नियत वेतन वर्ग-1 पद से कम है तो उसे भावी वेतनवृद्धियां समामेलित किए जाने के लिए वैयक्तिक वेतन के रूप में अंतर को अनुज्ञात किया जाएगा ; और

(ग) यदि वह वर्ग-1 पद से निम्नतर कोई पद धारण कर रहा था तो उसके वेतन को, निम्नतर पद के संबंध में उस प्रक्रम पर, जिस पर ऐसा वेतन उद्भूत होता है, उसके वेतन में एक वेतनवृद्धि की वृद्धि करके सैद्धांतिक रूप से वेतन से अधिक अगले प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

(घ) वह, तथापि, कनिष्ठ वेतनमान में जब तक कोई वेतनवृद्धि अर्जित करना बंद कर देता है तब तक वह उसकी सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, किसी उच्चतर वेतनमान के लिए हकदार नहीं होगा :

परंतु यह और कि वह नियम 9 के अधीन अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करेगा, यदि वह पूर्वगामी उपबंधों में निर्दिष्ट वेतन से अधिक है ।

(2) कनिष्ठ वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य का वेतन, ज्येष्ठ काल वेतनमान में किसी पद पर नियुक्ति पर, ऐसे प्रक्रम पर जिस पर ऐसा उद्भूत वेतन (या निम्नतर वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर किसी राशि तक यदि वह निम्नतर वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहा था) या उच्चतर वेतनमान के न्यूनतम पर इनमें से जो भी

अधिक हो, एक वेतनवृद्धि को निम्नतर वेतनमान में उसके वेतन में वृद्धि करने से प्राप्त सैद्धांतिक वेतन से ऊपर अगले प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

(3) राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी का आरंभिक वेतन, यथास्थिति, सेवा में उसकी नियुक्ति पर या भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार किसी स्थानापन्न हैसियत में किसी काडर पद पर नियुक्ति पर, अनुसूची-1 में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार नियत किया जाएगा । उसे, वेतन और वेतनवृद्धि फायदे, अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन उद्भूत होंगे ।

(4) ज्येष्ठ काल वेतनमान में, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में नियुक्ति पर ऐसे प्रक्रम पर जो ज्येष्ठ काल वेतनमान में उसके वेतन के बराबर है या यदि ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है तो उस वेतन से अधिक अगले प्रक्रम पर या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के न्यूनतम पर, इनमें से जो भी अधिक हो, नियत किया जाएगा ।

(5) सेवा के सदस्य का वेतन, चयन श्रेणी में नियुक्ति होने पर उप नियम (4) में यथा उपबंधित रीति में नियत किया जाएगा ।

(6) चयन श्रेणी में, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, प्रथम अतिकाल वेतनमान में या प्रथम अतिकाल वेतनमान से अन्य अतिकाल वेतनमान में या अतिकाल वेतनमान से प्रथम अतिकाल वेतनमाम से ऊपर वेतनमान में या प्रथम उपर्युक्त अतिकाल वेतनमान से अन्य अतिकाल वेतनमान से ऊपर वेतनमान में नियुक्ति पर उप नियम (2) में यथा उपबंधित रीति से नियत किया जाएगा ।

(7) सेवा के किसी सदस्य के पास सेवा में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रोन्नति पर उपरोक्त उपनियम (2) में उपबंधित रीति में उसकी प्रोन्नति की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह निम्नतर वेतनमान में पश्चातवर्ती रूप से वेतनवृद्धि अर्जित करता है, उच्चतर वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा । पश्चात्कथित मामले में, प्रोन्नति की तारीख को वेतन को पहले उपरोक्त उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार उच्चतर वेतनमान में नियत किया जाएगा, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी या चयन श्रेणी में प्रोन्नति के मामले में और अन्य मामलों में निम्नतर वेतनमान में वेतन से ऊपर के प्रक्रम पर निम्नतर वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि उद्भूत होने की तारीख को उप नियम (2) में यथाउपबंधित रीति में आगे पुनः नियत करके किया जाएगा । ऐसे किसी मामले में अगली वेतनवृद्धि की तारीख, उस तारीख से जिसको दूसरे अवसर पर वेतन पुनः नियत किया जाता है, बारह मास की अर्हक सेवा पूरा करने पर होगी । विकल्प का, प्रोन्नति के एक मास के भीतर प्रयोग किया जाएगा और वह अंतिम होगा ।

6. वेतनवृद्धियों का विनियमन -- (1) नियम 7 या नियम 8 या नियम 9 के अधीन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित किसी आदेश के अधीन रहते हुए, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7 या नियम 7क के अधीन नियुक्त सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धि अर्हक सेवा की तारीख के वर्ष के अवसान पर प्रोद्भूत होगी ।

परंतु इस प्रकार देय होने वाली वेतनवृद्धियां उस मास के प्रथम दिन को उद्‌भूत होगी जिसमें वे उद्‌भूत हुई होती ।

(2) अनुसूची I के खंड (2) और खंड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी प्रोन्नत अधिकारी की दशा में वेतनवृद्धियां उस तारीख से जिसको उसका वेतन अनुसूची 1 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियत कर दिया गया है, अर्हक सेवा के प्रत्येक वर्ष के पूरा करने पर उद्‌भूत होगी और वही सिद्धांत, उन दशाओं में लागू होंगे जहां सेवा में नियुक्ति किसी काडर पद पर स्थानापन्न के पश्चात् होती है :

परंतु यह कि इस प्रकार देय होने वाली वेतनवृद्धियां उस मास के प्रथम दिन को उद्‌भूत होंगी जिसमें वे उद्‌भूत हुई होती ।

परंतु यह और कि वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी काडर पद पर की गई सेवा की विखंडित अवधि को हिसाब में लिया जाएगा ।

(3) सेवा के किसी सदस्य की अगली वेतनवृद्धि, जिसका वेतन नियम 4 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में मियत कर दिया गया है उस तारीख को नियत की जाएगी जिसको वह पुनः वेतनवृद्धि प्राप्त करता जब वह विद्यमान वेतनमान में बना रहता ।

परंतु जहां नियम 4 के खंड़ (अ) और खंड (आ) के दूसरे परंतुक और उक्त नियम के खंड (आ) के अनुसार सेवा के किसी सदस्य का वेतन आगे बढ़ाया जाता है, वहां अगली वेतनवृद्धि सेवा के किसी सदस्य द्वारा वेतनवृद्धि लेने की तारीख को जिसके वेतन के प्रतिनिर्देश से इस प्रकार बढ़ाया जाना अनुज्ञात किया गया है, मंजूर की जाएगी :

परंतु यह और कि अन्य दशाओं में, सेवा के किसी सदस्य की अगली वेतनवृद्धि जिसका वेतन 1 जनवरी, 1996 को नियत किया जाता है, उसी प्रक्रम पर, जिस पर उसे उसी काडर के उससे कनिष्ठ सेवा के किसी सदस्य के लिए और उससे निम्नतर प्रक्रम पर विद्यमान वेतनमान में वेतन लेने वाले सदस्य के लिए नियत किया जाता है उसी तारीख से मंजूर किया जाएगा जो उसके कनिष्ठ व्यक्ति को अनुज्ञात है, यदि कनिष्ठ व्यक्ति की वेतनवृद्धि की तारीख उससे पूर्वतर है :

परतु यह भी कि सेवा के किसी सदस्य की दशा में, जो विद्यमान वेतनमान में 1 जनवरी, 1996 को एक वर्ष से अधिक के लिए अधिकतम वेतन ले रहा था, पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 1996 को अनुज्ञात की जाएगी ।

(4) चिकित्सीय प्रमाणपत्र से अन्यथा भिन्न ली गई असाधारण छुट्टियों के सिवाय सभी छुट्टी या राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सेवा के सदस्य के नियंत्रण के परे के कारण से छुट्टी ली गई है या अध्ययन पर जाने के लिए जो लोकहित में है, ली गई है और जिसके लिए अध्ययन छुट्टी, अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अन्यथा मंजूर की जाती है, ऐसी छुट्टियों पर जाने के समय उसके द्वारा धारित किसी पद के वेतनमान में लागू वेतनवृद्धि के लिए गणना में ली जाएगी ।

(5) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी इस प्रकार गणना में लिया जाएगा और वेतनवृद्धि के लिए उक्त अवधि की गणना इस शर्त के अधीन रहते हुए की जाएगी कि सेवा का सदस्य उस पद का धारण करना जारी रखता यदि वह ऐसी छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर भारत के बाहर न जाता :

परंतु जहां छुट्टी इस उपनियम और उपनियम (4) के अधीन वेतनवृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती है, वहां इसका, उसमें अंतर्वलित अवधि की सीमा तक अगली वेतनवृद्धि को आस्थगित करने का प्रभाव होगा ।

(6) नियम 3 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी वेतनमान में सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धियां उसकी सेवा की अवधि, जिसमें उस वेतनमान में सेवा की खंडित अवधि तथा पूर्व सेवा, यदि कोई हो, के प्रतिनिर्देश से विनियमित होगी तथा उसकी वेतनवृद्धि के लिए भी गणना में ली जाएगी । यदि यह -

(i) किसी काडर पद पर की गई सेवा हो ; या

(ii) उक्त वेतनमान या उससे उच्चतर वेतनमान में स्थायी या अस्थायी सेवा में (जिसमें पूर्णतः या सारवान रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगमित या अनिगमित किसी निकाय में कोई पद सम्मिलित है)

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पद पर सेवा सहित काडर बाह्य पद की सेवा की गणना, काडर में वापस जाने पर, वेतनवृद्धि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी, अर्थात् :-

(क) उक्त वेतनमान में पदों पर नियुक्ति के लिए उस राज्य सरकार द्वारा जिसके काडर से वह संबंधित है, सेवा के सदस्य का अनुमोदन कर दिया गया हो ;

(ख) काडर में उसके सभी ज्येष्ठ, उनके सिवाय जिन्हें ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उक्त वेतनमान में वेतन पाने वाले ऐसे पदों पर सेवारत थे जिनमें फायदा अनुज्ञात किया जाना है, उच्च पदों पर कार्य कर रहे थे और कम से कम एक कनिष्ठ व्यक्ति काडर पद धारण किए हुए था, या राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अंतर्गत अनुज्ञेय काडर पद या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय समय से अधिक के लिए प्रयोग किए गए राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, बाह्य काडर पद पर, जिससे वह संबंधित हो, राज्य सरकार के अधीन उक्त वेतनमान के वेतन वाले पद पर था ।

(ग) सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उसके किनिष्ट की प्रोन्नति हुई और फायदे उस अवधि तक सीमित होंगे जिसके दौरान वह राज्य सरकार के, जिस काडर से वह संबंधित है, अंतर्गत किसी पद पर वह रहा है ।

(7) सेवा के किसी सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन काडर बाह्य पद धारण कर रहा है, जिसके अतंर्गत केन्द्रीय सरकार के अधीन पद भी है, उस काडर में जिससे वह संबंधित है, राज्य सरकार द्वारा नियम 3 में विनिर्दिष्ट काल वेतनमान से ऊपर के वेतनमान में किसी पर प्रोफार्मा प्रोन्नति अनुदत्त की जाएगी ।

(8) यदि सेवा के किसी सदस्य को अतिकाल वेतनमान और उससे ऊपर के वेतनमान में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई हो, तो प्रोफार्मा प्रोन्नति के अंतर्गत आने वाली सेवा की अवधि की, उसके संबंधित काडर में वापस जाने तथा उक्त वेतनमान में किसी पद पर नियुक्त होने पर गणना, वेतन के आरंभिक नियतन तथा वेतनवृद्धियों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी, अर्थात् :-

(i) संबंधित सेवा के सदस्य का सुसंगत अवधि के दौरान उक्त वेतनमान में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया हो ;

(ii) उसके सभी ज्येष्ठ (पद के लिए अनुपयुक्त पाए व्यक्तियों को छोड़कर) अधिकारियों ने उस वेतनमान में उस तारीख को या उससे पूर्व, जिससे उसे प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की गई हो, वेतन लेना आरंभ कर दिया हो ;

(iii) उस अधिकारी के ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी ने भी (या, यदि वह अक्षमता या अनुपयुक्तता के कारण या अवकाश पर रहने या सामान्य पंक्ति के बाहर किसी पद पर सेवारत होने के कारण या उस श्रेणी

में अपनी इच्छा से प्रोन्नति न लेने के कारण पीछे रह गया हो, उससे ठीक नीचे का कनिष्ठ अधिकारी इस प्रकार पीछे न रह गया हो) उस तारीख से वही वेतन प्राप्त करना आरंभ कर दिया हो तथा उस पद पर उसकी नियुक्ति आपात स्थिति में न की गई हो ।

(iv) ऐसा फायदा 'एक के लिए एक' के आधार पर अनुज्ञात किया जाना चाहिए ।

(9) जब सेवा का कोई सदस्य किसी पूर्व अवसर पर उसके द्वारा धारित किसी काडर बाह्य पद के काल वेतनमान के समान किसी काल वेतनमान में कोई काडर बाह्य पद धारण करता है, तब पश्चात् कथित काडर बाह्य पद में उसका आरंभिक वेतन उस वेतन से कम नहीं होगा जो वह पूर्व अवसर पर प्राप्त करता था और वह उस अवधि को, जिसके दौरान वह ऐसे अंतिम अवसर पर उस वेतन को प्राप्त करता था, गणना में लेगा तथा उस वेतन के समतुल्य वेतनमान के प्रक्रम पर वेतनवृद्धि के लिए किसी पूर्व अवसर तथा इस प्रकार की गई सेवा को उसके प्रतिवर्तन पर उसकी वेतन के आरंभिक नियतन की सीमा के मध्य और उप नियम (6) में नियत शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में लिया जाएगा ।

(10) जहां सेवा का कोई सदस्य अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी से भिन्न किसी छुट्टी पर है, उस तारीख को जिसको कोई वेतनवृद्धि देय हो जाती है, वहां वह उसी फायदे को प्राप्त करेगा जो उसके कार्यभार संभालने की तारीख से नियमों के अधीन यदि अन्यथा अनुज्ञेय होता किंतु उससे उसकी भावी वेतनवृद्धि की साधारण तारीख आस्थगित नहीं होगी ।

(11) सेवा का कोई भी सदस्य सेवा के 28 वर्ष पूरा करने के पश्चात् वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट चरण- V आज्ञापक मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है ।

7. **वेतनवृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां** - कनिष्ठ वेतनमान या ज्येष्ठ वेतनमान या अतिकाल वेतनमानों में वेतन प्राप्त करने वाला सेवा का कोई सदस्य अधिकतम तीन वेतनवृद्धियों के अधीन रहते हुए उस वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् की गई प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए वेतनवृद्धि की अंतिम दर के समतुल्य एक वेतनवृद्धि का हकदार होगा ।

8. **वेतनवृद्धियों का रोका जाना** - राज्य सरकार, भारतीय पुलिस सेवा में किसी सीधे भर्ती किए गए नियुक्त व्यक्ति को देय किसी वेतनवृद्धि को ऐसे समय के लिए जैसा वह निदेश दे, रोक सकेगी, जो ऐसे समय के

भीतर जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित करें, विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं को उत्तीरण करने में असफल रहता है किंतु ऐसी वेतनवृद्धियों को रोके जाने का कोई संचयी प्रभाव नहीं होगा ।

9. **अग्रिम वेतनवृद्धियों का मंजूर किया जाना** - भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 13 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सीधे भर्ती किए गए अधिकारी को उसके, उसकी सेवा की अवधि पर ध्यान दिए बिना विहित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही दूसरी और तीसरी वेतनवृद्धि मंजूर करेगी, जिसके पश्चात् वह काल वेतनमान में अपनी हैसियत में तत्समान दरों पर वेतन पाने का हकदार होगा :

परंतु यह कि इस नियम के अधीन तीसरी वेतनवृद्धि, यथास्थिति, विहित विभागीय परीक्षा या विहित विभागीय परीक्षाओं की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से, परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने और पुष्टि हो जाने पर भूतलक्षी रूप से मंजूर की जाएगी :

परंतु यह और कि सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति, जिसे, यथास्थिति, विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में समस्त या किसी भाग की विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से छूट दी गई है इस कारण से कि उसने ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं या उसके किसी भाग को सेवा का सदस्य होने से पूर्व पहले ही उत्तीर्ण कर लिया है, इस नियम के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं या उसके भाग को पूर्वतर तारीख से जिसमें वह सेवा का सदस्य होने के पश्चात् बैठने से छूट दी गई है, यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं या उसके भाग को उत्तीर्ण किया गया समझा जाएगा ।

10. **अनुसूची 2 में सम्मिलित पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन :** अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी पद को धारण करने के लिए नियुक्त सेवा का कोई सदस्य जब तक वह पद धारण करता है, उक्त अनुसूची में उस पद के लिए उपदर्शित वेतन और विशेष भत्ता या केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, जो भी अनुज्ञेय हो, प्राप्त करने का हकदार होगा :

परंतु यह कि ऐसा वेतन किसी भी समय इन नियमों के नियम 5 और नियम 6 के अधीन अनुज्ञेय वेतन से कम नहीं होगा ।

11. **अनुसूची 2 में सम्मिलित न किए गए पदों पर नियुक्त सेवा के सदस्यों का वेतन** : (1) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पद से भिन्न किसी पद पर नियुक्त सेवा के किसी भी सदस्य को यथास्थिति, उसके नियंत्रणाधीन पदों की बाबत संबंधित राज्य सरकार या उसके नियंत्रणाधीन पदों की बाबत केन्द्रीय सरकार जब तक यह घोषणा नहीं कर देती है कि उक्त पद, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों की प्रास्थिति और उत्तरदायित्व में उसके समतुल्य है, नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पद से भिन्न किसी पद पर नियुक्ति पर सेवा के किसी सदस्य का वेतन वही होगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जिस पर उसे नियुक्त किया गया होता जिसको उक्त पद के समतुल्य घोषित किया गया है ।

(3) उक्त नियम के प्रयोजन के लिए अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी पद से भिन्न पद में किसी निकाय (निगमित हो या नहीं) के अधीन कोई पद सम्मिलित है जो समस्त रूप से या सारवान रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है ।

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके नियंत्रणाधीन किसी पद की बाबत संबंधित राज्य सरकार या उसके नियंत्रणाधीन किसी पद की बाबत केन्द्रीय सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से, जब समीकरण संभव न हो, सेवा के किसी सदस्य को यह घोषणा किए बिना कि उक्त पद अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पद की प्रास्थिति और उत्तरदायित्व में उसके समतुल्य है, किसी ऐसे पद पर सेवा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जा सकेगा ।

(5) उप नियम (4) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति पर सेवा का कोई सदस्य, जिसकी बाबत कोई वेतन या वेतनमान विहित नहीं किया गया है, ऐसी दर से वेतन प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पद की दशा में या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पद की दशा में केन्द्रीय सरकार पद में अंतर्वलित कर्तव्यों और दायित्वों की प्रकृति को हिसाब में रखने के पश्चात् अवधारित करे ।

(6) उप नियम (4) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति पर सेवा का कोई सदस्य, जिसकी बाबत कोई वेतन या वेतनमान विहित किया गया है, जहां वेतन विहित किया गया है, विहित वेतन और जहां वेतनमान विहित किया गया है, वेतनमान के अधिकतम से अनधिक वेतन की ऐसी दर से जो इस निमित्त यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार विहित करे, प्राप्त करेगा :

परंतु यह कि इस उप नियम और उप नियम (5) के अधीन किसी अधिकारी को अनुज्ञेय वेतन उससे कम नहीं होगा जो वह तब प्राप्त करता जब वह उप नियम (4) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्त न किया गया होता ।

(7) किसी भी समय उप नियम (1) और उप नियम (4) में निर्दिष्ट काडर पदों से भिन्न पदों को धारण करने के लिए नियुक्त सेवा के सदस्यों की संख्या, जिनका वेतनमान 24050-650-2600रु. प्रतिमास है और जिन्हें

राज्य प्रतिनियुक्ति आरक्षित के लिए हिसाब में लिया गया है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, यथास्थिति, किसी राज्य काडर में या किसी संयुक्त काडर में वेतन के उस स्तर पर काडर पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

12. **एक पद से अधिक पद का धारण करने के लिए नियुक्त सेवा के सदस्यों का वेतन** - एक ही समय में एक पद से अधिक पद का धारण करने के लिए नियुक्त सेवा के किसी सदस्य का अतिरिक्त वेतन मंजूर करना निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) संघ के कामकाज के संबंध में सेवारत सेवा के किसी सदस्य की दशा में, केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के अधिकारियों को लागू, नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा ;

(ख) किसी राज्य के कामकाज के संबंध में सेवारत किसी सदस्य की दशा में राज्य पुलिस सेवा वर्ग-1 के अधिकारियों को लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा ;

13. **किसी संयुक्त काडर के संबंध में नियम 8, नियम 9 और नियम 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार** - (1) किसी संयुक्त काडर में सेवा के किसी सदस्य की दशा में नियम 8 और नियम 9 के अधीन शक्तियों का संयुक्त काडर प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाएगा ।

(2) सेवा के सदस्यों के संबंध में और किसी संयुक्त काडर में पदों के संबंध में नियम 11 के अधीन शक्तियों का संबंधित संघटक राज्य की सरकार द्वारा प्रयोग किया जाएगा ।

अनुसूची 1.

[नियम 5 का उप नियम (3) देखिए]

नियम 5 के उप नियम (3) के अंतर्गत आने वाले मामलों में वेतन नियत करने के सिद्धांत

इस अनुसूची में,-

(I) "वास्तविक वेतन" पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है, जिसके लिए राज्य पुलिस सेवा का कोई सदस्य उस सेवा के काडर में अपनी अधिष्ठायी हैसियत के कारण या विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् तीन वर्ष या अधिक अवधि के लिए किसी उच्चतर पद पर अस्थायी या

स्थानापन्न हैसियत में लगातार कार्य करने के कारण हकदार है, परंतु यह तब जब कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् राज्य पुलिस सेवा को लागू वेतनमान को पुनरीक्षित नहीं किया है । यदि वेतनमानों को 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् पुनरीक्षित किया गया है तो 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया और पुनरीक्षित वेतनमानों में समामेलित महंगाई भत्ते, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त अनुतोष को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(II) "कल्पित वेतन" पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जो राज्य पुलिस सेवा के किसी सदस्य ने अपनी सेवा के वेतनमान में जिसमें उसकी पुष्टि की गई है या जिसमें उसने विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् तीन वर्ष या अधिक अवधि के लिए किसी अस्थायी या स्थानापन्न हैसियत में लगातार कार्य किया है, प्राप्त किया हो, परंतु यह तब जब कि 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् राज्य पुलिस सेवा को लागू वेतनमान को पुनरीक्षित नहीं किया है । यदि वेतनमानों को 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् पुनरीक्षित किया गया है तो राज्य सरकार 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् मंजूर किए गए और पुनरीक्षित वेतनमान में समामेलित किए गए महंगाई भत्ते, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त अनुतोष को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(1) नियम 3 के उप नियम (1) के पहले परंतुक और उसके नीचे टिप्पणों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वेतन को, उसके वास्तविक वेतन से ऊपर अगले ज्येष्ठ वेतनमान के प्रक्रम पर नियत किया जाएगा :

परंतु यदि वेतन का ऐसा प्रक्रम ज्येष्ठ वेतनमान के विभिन्न संघटकों में सामान्य है तो वेतन को ज्येष्ठ वेतनमान में, यथास्थिति, निम्नतर या निम्नतम संघटक में नियत किया जाएगा ।

(2) भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में उसके वास्तविक वेतन या कल्पित वेतन की कोई वृद्धि या तो किसी वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप हुई है या किसी वेतनवृद्धि के लिए हकदार होने के कारण हुई है या परिवीक्षा की अवधि के दौरान राज्य पुलिस सेवा के उच्चतर वेतनमान में पुष्टि के कारण हुई है, जब तक कि परिवीक्षा को भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968 के नियम 3 के उप नियम (3) के अर्थांतर्गत बढ़ाया नहीं जाता है, तो वह राज्य पुलिस सेवा में उसके वर्धित वेतन के आधार पर इस अनुसूची में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार अपना वेतन पुनः संगणित कराने का हकदार होगा मानो वह ऐसी वृद्धि की तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत हुआ था ।

(3) यदि भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त परिवीक्षा पर किसी प्रोन्नत अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के दौरान राज्य पुलिस सेवा के उच्चतर वेतनमान में भारतीय पुलिस सेवा में उसकी प्रोन्नति की तारीख से पूर्व की तारीख से पुष्टि कर दी जाती है, जब तक कि परिवीक्षा को, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के उप नियम (3) के अर्थांतर्गत बढ़ाया नहीं जाता है और इस प्रकार उसके वास्तविक वेतन या कल्पित वेतन की वृद्धि को, उसके वेतन को भारतीय पुलिस सेवा में उसके वर्धित वेतन के आधार पर, इस अनुसूची में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार ऐसी वृद्धि की तारीख से पुनः संगणित किया जाएगा ।

(4) जहां, कोई प्रोन्नत अधिकारी जिसने भारतीय पुलिस सेवा में अपनी नियुक्ति की तारीख को, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन या विदेश सेवा में किसी काडर पद से भिन्न किसी पद को धारण किया है या लगातार धारण किए हुए है और वह पद -

(क) किसी काडर पद के काल वेतनमान के समान वेतनमान में है ; या

(ख) किसी काडर पद की प्रास्थिति और दायित्वों के समतुल्य है

और संबंधित राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार को उसके काडर पद से भिन्न किसी अन्य पद पर नियुक्ति के तीन मास के भीतर या काडर पद पर नियुक्त होने वाले चयन सूची के अगले कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की तारीख के तीन मास के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करती है कि वह भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन उस काडर पद पर कार्य किया होगा किंतु काडर से भिन्न उप खंड (क) के अधीन किसी अन्य पद पर उसकी नियुक्ति के संबंध में एक वर्ष से अनधिक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या इस उप खंड में किसी पद के संबंध में तीन वर्ष से अनधिक के लिए खंड (1) के अनुसार ज्येष्ठ काल वेतनमान में नियत किया गया हो जो उस वेतन से, जो उसने उक्त गैर काडर पद में प्राप्त किया था या करता है, कम नहीं होगा ।

परंतु यह कि ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में ऐसा प्रमाणपत्र एक समय में चालू होगा कि भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय चयन सूची की अधिकतम संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी और ऐसे आदेश का पालन किया जाएगा जिसमें ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में प्रकट किए गए हों :

परंतु यह और कि ऐसा प्रमाणपत्र केवल तब दिया जाएगा जब किसी गैर काडर पद में नियुक्त चयन सूची के प्रत्येक ज्येष्ठ अधिकारी को, जिनके संबंध में प्रमाणपत्र दिया गया है, भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन किसी ज्येष्ठ पद में स्थानापन्न रूप से कार्यरत एक कनिष्ठ चयन सूची अधिकारी है :

परंतु यह भी कि ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में प्रमाणपत्र दिया जाता है, पदों की उस संख्या से अधिक नहीं होगी जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन गैर काडर पदों को धारण करने वाले काडर अधिकारियों की संख्या, भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची के अधीन मंजूर की गई प्रतिनियुक्ति आरक्षित की संख्या से कम हो जाती है ।

(5) यथास्थिति, किसी प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी का वेतन किसी भी दशा में ज्येष्ठ काल वेतनमान के न्यूनतम से कम नियत नहीं किया जाएगा ।

(6) यदि, यथास्थिति, किसी प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की काडर स्थानापन्न के पश्चात् सेवा में नियुक्ति होती है तो उसके स्थानापन्न के दौरान नियत किए गए वेतन को ऐसी नियुक्ति के समय वेतन नियत करते समय हिसाब में लिया जाएगा ।

(7) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रोन्नत अधिकारी का वेतन उस मूल वेतन से किसी भी समय अधिक नहीं होगा जो वह उस तारीख को सीधी भर्ती किए गए अधिकारी के रूप में प्राप्त करता यदि उसे उस तारीख को, जिसको उसे राज्य पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया होता ।

भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति पर राज्य पुलिस सेवा अधिकारी या भारतीय पुलिस सेवा के काडर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त अधिकारियों के वेतन का नियतन प्रपत्र-क में होगा ।

प्रपत्र क

भारतीय पुलिस सेवा काडर पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त या भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के वेतन के नियतन की बाबत प्रपत्र

1. अधिकारी का नाम
2. भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त / किसी काडर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्ति की तारीख
3. भारतीय पुलिस सेवा में ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित पद का पदनाम
4. भारतीय पुलिस सेवा में या किसी काडर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्ति की तारीख से राज्य पुलिस सेवा में वेतनमान और लिया गया वेतन

5. क्या क्रम संख्यांक 3 में उल्लिखित पद पर अधिकारी अधिष्ठायी या स्थानापन्न था ?

6. यदि स्थानापन्न 3 वर्ष से कम है तो क्या पद अधिष्ठायी था

7. अधिष्ठायी पद या उस पद का जिसमें वह 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए स्थानापन्न था और उसके पश्चात् विहित प्रक्रिया का पालन किया था, वेतन और वेतनमान

8. सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व अधिकारी द्वारा धारित सभी पदों के ब्यौरे, इन पदों के वेतनमान और लिया गया वेतन

9. क्या क्रम संख्याक 4 और 7 में निर्दिष्ट वेतनमान 1.1.1996 से प्रवृत्त थे

10. यदि हां तो निम्नलिखित के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञेय महंगाई भत्ता क्या था -

(क) अधिष्ठायी पद

(ख) स्थानापन्न पद

(1.1.1996 को प्रवृत्त महंगाई भत्ते की दर से और न कि भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति / भारतीय पुलिस सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्ति की तारीख से प्रवृत्त महंगाई भत्ते की दरों के प्रतिनिर्देश से)

11. यदि, क्रम संख्या 9 का उत्तर 'नहीं है' तो 1.1.1996 के पश्चात् पहली बार कब वेतनमान पुनरीक्षित किया गया था और क्रम संख्या 7 में निर्दिष्ट पद के लिए पुनरीक्षित पूर्व वेतनमान क्या था

12. 1.1.1996 के पश्चात् मंजूर किए गए और क्रम संख्या 7 में निर्दिष्ट पद के वेतनमान में समामेलित महंगाई भत्ते, मंहगाई वेतन, अंतरिम अनुतोष की मात्रा क्या थी

13. राज्य पुलिस सेवा के वर्ग 1 या समूह क में सेवा में पूरे किए गए वर्षों की संख्या

14. वेतन को नियत करने के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव और उसका आधार

अनुसूची II

11-क राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में ज्येष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद ।

राज्य	पदों का पदनाम	वेतन/वेतनमान
आंध्र प्रदेश		
	पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक	
	पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	24050-650-26000 रु0
	अपर पुलिसमहानिरीक्षक - सीआईडी	24050-650-26000 रु0
	अपर पुलिस महानिरीक्षक (एपी स्पेशल पुलिस)	22400-525-24500 रु0
	अपर पुलिस महानिरीक्षक - भर्ती और प्रशीक्षण	22400-525-24500 रु0
	अपर पुलिस महानिरीक्षक - रेलवे	22400-525-24500 रु0
	अपर पुलिस महानिरीक्षक - प्रशासन	22400-525-24500 रु0
	पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक जेल और महानिदेशक	22400-525-24500 रु0
	करेक्शनल सर्विस	22400-525-24500 रु0
	निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	
	पुलिस महानिरीक्षक-ए.पी.विशेष पुलिस	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक (विधि व्यवस्था)	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी	18400-500-22400
	पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना)	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय और यातायात)	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक, (प्रोविज़नल और लोजिस्टिक)	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक (ग्रेहाउन्डस)	18400-500-22400 रु0
	निदेशक, आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी	18400-500-22400 रु0
	पुलिस आयुक्त, हैदराबाद शहर	18400-500-22400 रु0
	निदेशक, एससीआरबी	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - प्रशिक्षण	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - होम गार्डस	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - कल्याण और खेल	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - मुख्यालय और विधि कार्य	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - पुलिस यातायात संगठन	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - स्पेशल प्रोटैक्शन फोर्स	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - पीसीआर सैल, सीआईडी	18400-500-22400 रु0
	पुलिस संयुक्त आयुक्त - विधि व्यवस्था	18400-500-22400 रु0
	पुलिस संयुक्त आयुक्त - अपराध और सीआईटी	16400-450-20000 रु0
	पुलिस संयुक्त आयुक्त - यातायात/सुरक्षा	16400-450-20000 रु0
	संयुक्त निदेशक, आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक (प्रशासन)	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक (सुरक्षा)	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक (एसआईबी)	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेंज)	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक (आसूचना)	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - सीआईडी-I और II	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक (सीआईडी-III/पीसीआर और समाजिक न्याय)	16400-450-20000 रु0
	अपर निदेशक - भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उप महानिरीक्षक (सर्तकता सैल, नागरिक आपूर्ति)	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उप महानिरीक्षक - मानव अधिकार	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - अग्नि शमन सेवा	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - संगठन	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - ए.पी. विशेष पुलिस बटालियन	16400-450-20000 रु0
	पुलिस आयुक्त - विशाखापटनम शहर	16400-450-20000 रु0
	पुलिस आयुक्त – विजयवाड़ा शहर	16400-450-20000 रु0
		16400-450-20000 रु0

अरुणाचल प्रदेश - गोवा- मिजोरम संघ राज्यजोन

अरुणाचल प्रदेश

पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - रेंज	18400-500-22400 रु0
उप पुलिस महानिरीक्षक - (पूर्व /पश्चिम) रेंज	16400-450-20000 रु0
उप पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)	16400-450-20000 रु0

गोवा

पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक-रेंज	16400-450-20000 रु0

मिजोरम

पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500 रु0
पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक	16400-450-20000 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक-सीआईडी	16400-450-20000 रु0
पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय	16400-450-20000 रु0

दिल्ली

पुलिस आयुक्त, दिल्ली	24050-650-26000 रु0
विशेष पुलिस आयुक्त (प्रशासन)	22400-525-24500 रु0
विशेष पुलिस आयुक्त (आसूचना)	22400-525-24500 रु0
विशेष पुलिस आयुक्त (एसईसी और टीआरएफ)	22400-525-24500 रु0
संयुक्त पुलिस आयुक्त (सतर्कता)	18400-500-22400 रु0
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ए.पी.)	18400-500-22400 रु0
संयुक्त पुलिस आयुक्त (आप्रेशन)	18400-500-22400 रु0
संयुक्त पुलिस आयुक्त (आर.पी.भवन)	18400-500-22400 रु0
संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध)	18400-500-22400 रु0
संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध)	18400-500-22400 रु0
संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशिक्षण)	18400-500-22400 रु0
संयुक्त पुलिस आयुक्त (रेंज)	18400-500-22400 रु0
अपर पुलिस आयुक्त (एसईसी)	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त (टी.आर.एफ.)	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त (ए.पी.)	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त (पैन्डल)	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त (सी.ए.डब्ल्यू)	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त (पी.सी.आर.)	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय)	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त (एस.बी.)	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त - प्रधान मंत्री सुरक्षा	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त - अपराध	16400-450-20000 रु0

अंडमान और निकोबार

पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक-रेंज/सशस्त्र पुलिस	16400-450-20000 रु0

चंडीगढ़

पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रु0
पांडिचेरी	
पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रु0
असम-मेघालय	
असम	
पुलिसमहानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000 रु0 (30 वर्ष की सेवा के पश्चात)
अपर पुलिस महानिदेशक - विशेष शाखा	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक - सीमा	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण/सशस्त्र पुलिस/ तकनीकी विंग	22400-525-24500 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - प्रशासन	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - विशेष शाखा	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - प्रशिक्षण/सशस्त्र पुलिस	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सीमा	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - आप्रेशन	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - अन्वेषण ब्यूरो (आर्थिक अपराध)	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सुरक्षा	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - असम पुलिस आवासन	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - होम गार्डस और सिविल रक्षा	18400-500-22400 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - प्रशासन	16400-450-20000 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - सर्तकता और ई.ओ.	16400-450-20000 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - रेंज	16400-450-20000 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - सीआईडी	16400-450-20000 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - सीमा	16400-450-20000 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - प्रशिक्षण और सशस्त्र पुलिस	16400-450-20000 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - सशस्त्र पुलिस	16400-450-20000 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - आधुनिकीकरण/योजना/समन्वय	16400-450-20000 रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - मानव अधिकार और समाजिक न्याय	16400-450-20000 रु0
मेघालय	
पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000 रु0 (30 वर्ष की सेवा के पश्चात)
पुलिस महानिरीक्षक - विधि व्यवस्था	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सशस्त्र पुलिस/सीमा/प्रशिक्षण	18400-500-22400 रु0
उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)	16400-450-20000 रु0
उप पुलिस महानिरीक्षक (रेंज)	16400-450-20000 रु0
उप पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण)	16400-450-20000 रु0
बिहार	
पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000 रु0
पुलिस अपर महानिदेशक - सीआईडी	22400-525-24500 रु0

703 GI/2008—4

	पुलिस अपर महानिदेशक - सतर्कता	22400-525-24500 रु0
	पुलिस अपर महानिदेशक - कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स	22400-525-24500 रु0
	पुलिस अपर महानिदेशक	22400-525-24500 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक-मुख्यालय सह विधि कार्य	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - आपरेशन	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - बेतार	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - एसपीएल.बीआर(आसूचना)	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - बीएमपी (उत्तर) सहित पटना स्थित मुख्यालय बीएमपी 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 कुल 9बीएन.	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - जोनल, पटना	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - जोनल, मुज्फफरपुर	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - जोनल, दरभंगा	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - भागलपुर	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - पटना रेंज, पटना	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - शाहबाद रेंज, रोहता	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - मगध रेंज, गया	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - तिरहट रेंज, मुजफ्फरपुर	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - सारन रेंज, छापर	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - दरभंगा रेंज, दरभंगा	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - पुरनिया रेंज, पुरनिया	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - कोशी रेंज, सहरसा	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - पूर्वी रेंज, भागा	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - मुंगेर रेंज,मुन	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - चंपारन रेंज, बे	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - रेलवे रेंज, पटना	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - प्रशासन	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - कार्मिक	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक - सतर्कता (अन्वेषण)	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिदेशक	16400-450-20000 रु0
छत्तीसगढ़	पुलिस महानिदेशक	24050-650-26000 रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक - मुख्यालय	22400-525-24500 रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - प्रशासन	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - रेंज	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रु0
	पुलिस उप महानिरीक्षक - आसूचना	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उप महानिरीक्षक - प्रशा.	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उप महानिरीक्षक - एसएएफ और प्रशिक्षण	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उप महानिरीक्षक - एचजी	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उप महानिरीक्षक	16400-450-20000 रु0
गुजरात	पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000 रु0

पुलिस महानिरीक्षक और निदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	24050-650-26000 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक, सीआईडी (अपराध और रेल)	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक (आसूचना)	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था)	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक (शस्त्र युनिट और प्रशिक्षण)	22400-525-24500 रु0
पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद शहर	18400-500-22400 रु0
पुलिस आयुक्त, वडोदरा शहर	18400-500-22400 रु0
पुलिस आयुक्त, सूरत शहर	18400-500-22400 रु0
पुलिस आयुक्त, राजकोट शहर	18400-500-22400 रु0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)	18400-500-22400 रु0
संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), अहमदाबाद	18400-500-22400 रु0
प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जुनागढ	18400-500-22400 रु0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक - अहमदाबाद रेंज	18400-500-22400 रु0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक - वडोदरा रेंज	18400-500-22400 रु0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक - राजकोट रेंज	18400-500-22400 रु0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक - गांधीनगर रेंज	18400-500-22400 रु0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक - जुनागढ रेंज	18400-500-22400 रु0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक - (औद्यौगिक सुरक्षा, हरिजन मामले)	18400-500-22400 रु0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक - सूरत रेंज	18400-500-22400 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - (विधि व्यवस्था)	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक -(शस्त्र युनिट)	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक सीआईडी (आसूचना ब्यूरो)	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - रेल, अहमदाबाद	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - सीआईडी (अपराध)	16400-450-20000 रु0
प्रिंसीपल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, वडोदरा	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - राज्य अपराध अभिलेखागार ब्यूरो	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - सीमा रेंज, कच्छ-भुज	16400-450-20000 रु0
संयुक्त निदेशक - भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - (जेल), अहमदाबाद	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त, सूरत शहर	16400-450-20000 रु0
अपर पुलिस आयुक्त, वड़ोदरा शहर	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -(आप्रेशन), अहमदाबाद	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -(इन्कवारी), अहमदाबाद	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -(योजना/आधुनिकीकरण)	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - (मानव अधिकार और समाजिक न्याय), अहमदाबाद	16400-450-20000 रु0

हरियाणा

पुलिस महानिदेशक	24050-650-26000 रु0
निदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण	22400-525-24500 रु0
कमांडेंट जनरल, एचजी और निदेशक, नागरिक सुरक्षा	22400-525-24500 रु0
पुलिस महानिरीक्षक , प्रशासन	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण और कल्याण	18400-500-22400 रु0
निदेशक,राज्य अपराध अभिलेख् ब्यूरौ	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी	18400-500-22400 रु0
निदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय	18400-500-22400 रु0

पुलिस महानिरीक्षक - राज्य सतर्कता आयोग	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - रेल और तकनीकी सेवाएं	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - विधि व्यवस्था	18400-500-22400 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - रेंज	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - प्रशासन	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - आसूचना	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - हरियाणा सशस्त्र पुलिस	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - आधुनिकीकरण और कल्याण	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - होम गाडर्स	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - राज्य आसूचना ब्यूरौ	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - दूरसंचार	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - रेल	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - सुरक्षा	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - प्रशिक्षण	16400-450-20000 रु0

हिमाचल प्रदेश

पुलिस महानिदेशक और पुलिस उपमहानिदेशक	24050-650-26000 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक, (प्रवर्तन)	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक-सह -कमांडेंट जनरल होम गाडर्स, अग्निशमन और समाजिक सुरक्षा	22400-525-24500 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक -प्रवर्तन	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - विधि व्यवस्था	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - मुख्यालय	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - आर एंड टी	18400-500-22400 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - रेंज	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - एपीटी और इएनएफ	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - पीटीसी	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - प्रशासन,मुख्यालय	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक -सतर्कता	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - सीआईडी	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक - आर एंड टी	16400-450-20000 रु0
पुलिस उपमहानिदेशक -प्रविर्तन	16400-450-20000 रु0

जम्मू-कशमीर

महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक - कारागार	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक - विधि व्यवस्था/मुख्यालय	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक - आसूचना/सुरक्षा	22400-525-24500 रु0
अपर पुलिस महानिदेशक - सशस्त्र	22400-525-24500 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - जम्मू जोन	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - कश्मीर जोन	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सुरक्षा	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक -यातायाज	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सशस्त्र	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी	18400-500-22400 रु0
पुलिस महानिरीक्षक - मुख्यालय	18400-500-22400 रु0

पुलिस महानिरीक्षक - अपराध और रेल	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - होम गार्ड और सामाजिक सुरक्षा	18400-500-22400 रू0
निदेशक - एस.के. पुलिस अकादमी	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - आधुनिकीकरण और तकनीकी सेवा	18400-500-22400 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - सीआईडी	16400-450-20000 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - कार्मिक, पीएचक्यू	16400-450-20000 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - प्रशासन, पीएचक्यू	16400-450-20000 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - होम गार्डस और समाजिक सुराक्षा	16400-450-20000 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - सशस्त्र पुलिस	16400-450-20000 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - अपराध और रेल	16400-450-20000 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - सतर्कता	16400-450-20000 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - सुरक्षा	16400-450-20000 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - रेंज (कशमीर/जम्मू)	16400-450-20000 रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - यातायात	16400-450-20000 रू0
निदेशक, पुलिस दूरसंचार	16400-450-20000 रू0

झारखंड

पुलिस महानिदेशक	24050-650-26000 रू0
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)	22400-525-24500 रू0
अपर पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - एस.ए.एफ	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - सतर्कता	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - आप्रेशन	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - प्रशिक्षण	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिदेशक	18400-500-22400 रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - मुख्यालय	16400-450-20000 रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - डीआईजी रेंज	16400-450-20000 रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - पीटीसी	16400-450-20000 रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक	16400-450-20000 रू0

कर्नाटक

महानिदेशक और पुलिस उपमहानिरीक्षक	24050-650-26000 रू0
पुलिस महानिदेशक और कमांडेंट जनरल, होम गार्डस और पदेन निदेशक, सिविल सुरक्षा एवं निदेशक,अग्नि बल	24050-650-26000 रू0
पुलिस आयुक्त, बंगलौर शहर	22400-525-24500 रू0
अपर पुलिस महानिदेशक - प्रशासन	22400-525-24500 रू0
अपर पुलिस महानिदेशक - प्रशासन-विधि व्यवस्था	22400-525-24500 रू0
अपर पुलिस महानिदेशक - प्रशासन - आसूचना	22400-525-24500 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - कर्नाटक लोकायुक्त	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - गुप्तचर कार्य	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - पुलिस कंप्यूटर खंड और आधुनिकीकरण योजना	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - के.एस.आर.पी.	18400-500-22400 रू0
संयुक्त आयुक्त पुलिस, बंगलौर	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - दक्षिणी रेंज, मैसूर	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - केन्द्रीय रेंज,बंगलौर	18400-500-22400 रू0
पुलिस महानिरीक्षक - पूर्वी रेंज, मंगलौर	18400-500-22400 रू0

	पुलिस महानिरीक्षक - पश्चिम रेंज, मंगलौर	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - उत्तरी रेंज, बेलगाम	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - उत्तर पूर्वी रेंज, गुलबा	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - सिविल अधिकार प्रर्वतन महानिदेशालय	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - शिकायत और मानव अधिकार	18400-500-22400 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - प्रशासन	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - मुख्यालय	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - योजना अनुसंधान और विशेष यूनिट	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - गुप्तचर कॉर्प	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - रेलवे	16400-450-20000 रु0
	निदेशक पुलिस अकादमी, मैसूर	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - के.एस.आर.पी.	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - वन	16400-450-20000 रु0
	पुलिस आयुक्त - मैसूर नगर	16400-450-20000 रु0
	पुलिस आयुक्त - हुबली धारवाड़ नगर	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - प्रशिक्षण	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - लोकायुक्त	16400-450-20000 रु0
	अपर पुलिस आयुक्त, कार यूनिट, बेंगलोर शहर	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - यातायात और सड़क सुरक्षा आयुक्त	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - अग्निशमन सेवा	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - आसूचना	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - सिविल अधिकार प्रर्वतन निदेशालय	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - आर्थिक अपराध (गुप्तचर कार्य)	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - सुरक्षा (आसूचना)	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक सह अपर पुलिस आयुकत (अपराध) बैंगलोर नगर	16400-450-20000 रु0
केरल		
	महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000 रु0
	निदेशक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरौ	22400-525-24500 रु0
	कमांडेंट जनरल होम गार्डस और नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा	22400-525-24500 रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक - आसूचना	22400-525-24500 रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक - अपराध	22400-525-24500 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - जोन	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - सतर्कता	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - मुख्यालय	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - प्रशिक्षण्	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - अपराध	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - एस.सी.आर.बी.	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक - पीसीआर	18400-500-22400 रु0
	पुलिस महानिरीक्षक -सशस्त्र पुलिस बटालियन और यातायात योजना	18400-500-22400 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - रेंज	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - सतर्कता	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - अपराध	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - आसूचना	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - शस्त्र पुलिस बटालियन	16400-450-20000 रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक - प्रशिक्षण	16400-450-20000 रु0

पुलिस उपमहानिरीक्षक - प्रशासन	16400-450-20000 रु०
पुलिस उपमहानिरीक्षक - तकनीकी सेवाएं	16400-450-20000 रु०
पुलिस उपमहानिरीक्षक - मुख्यालय	16400-450-20000 रु०

मध्य प्रदेश

महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000 रु०
अपर पुलिस महानिदेशक - पुलिस प्रशासन/योजना और प्रोविजन	22400-525-24500 रु०
अपर पुलिस महानिदेशक -आसूचना	22400-525-24500 रु०
अपर पुलिस महानिदेशक -सीआईडी	22400-525-24500 रु०
अपर पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500 रु०
पुलिस महानिरीक्षक - रेंज	18400-500-22400 रु०
पुलिस महानिरीक्षक -रेलवे	18400-500-22400 रु०
पुलिस महानिरीक्षक -एसएएफ (आप्रेशन और प्रशिक्षण)	18400-500-22400 रु०
पुलिस महानिरीक्षक -विधि व्यवस्था	18400-500-22400 रु०
पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रु०
उप पुलिस महानिरीक्षक - प्रशासन	16400-450-20000 रु०
उप पुलिस महानिरीक्षक -सीआईडी (सतर्कता)/इन्वेस्टीगेशन/समन्वय	16400-450-20000 रु०
उप पुलिस महानिरीक्षक - ईटी/सैक/मैक्स/सी	16400-450-20000 रु०
उप पुलिस महानिरीक्षक - एसएएफ रेंज	16400-450-20000 रु०
उप पुलिस महानिरीक्षक -एसबीआई, ईओडब्ल्यू	16400-450-20000 रु०
उप पुलिस महानिरीक्षक -होम गार्ड्स	16400-450-20000 रु०
उप पुलिस महानिरीक्षक -अग्निशमन सेवाएं	16400-450-20000 रु०
उप पुलिस महानिरीक्षक -	16400-450-20000 रु०

महाराष्ट्र

महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000 रु०
महानिदेशक - भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	24050-650-26000रु०
अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था)	22400-525-24500रु०
पुलिस आयुक्त, नागपुर	22400-525-24500रु०
पुलिस आयुक्त, मुम्बई	22400-525-24500रु०
पुलिस आयुक्त, ठाणे	22400-525-24500रु०
पुलिस आयुक्त, पुणे	22400-525-24500रु०
पुलिस महानिरीक्षक - प्रशिक्षण और विशेष यूनिट, मुम्बई	18400-500-22400रु०
संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध, मुम्बई	18400-500-22400रु०
संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध,/ पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महाराष्ट्र राज्य, मुम्बई	18400-500-22400रु०
पुलिस महानिरीक्षक - रेल, मुम्बई	18400-500-22400रु०
पुलिस महानिरीक्षक -ठाणे रेंज	18400-500-22400रु०
पुलिस महानिरीक्षक - कोल्हापुर रेंज	18400-500-22400रु०
पुलिस महानिरीक्षक -नाशिक, रेंज	18400-500-22400रु०
पुलिस महानिरीक्षक - अमरावती रेंज	18400-500-22400रु०
पुलिस महानिरीक्षक - औरंगाबाद रेंज	18400-500-22400रु०
पुलिस महानिरीक्षक - नांदेड़ रेंज	18400-500-22400रु०
संयुक्त पुलिस आयुक्त, (प्रशासन) मुम्बई	18400-500-22400रु०
निदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी नासिक	18400-500-22400रु०
पुलिस आयुक्त, नवी मुम्बई	18400-500-22400रु०
संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस महानिदेशक एसीबी मुम्बई	18400-500-22400रु०

विशेष पुलिस महानिदेशक (पी सी आर)	18400-500-22400रू0

महाराष्ट्र राज्य

विशेष पुलिस महानिदेशक (पांड सी), मुम्बई	18400-500-22400रू0
विशेष पुलिस महानिदेशक - प्रशासन	18400-500-22400रू0
पुलिस आयुक्त, नासिक	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त, उत्तर/दक्षिण/यातायात, मुम्बई	16400-450-20000रू0
उपमहानिरीक्षक सीआईडी (अपराध) पुणे	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त, ठाणे	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त, पुणे	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त, नागपूर	16400-450-20000रू0
उपमहानिरीक्षक पुलिस राज्य आरक्षित पुलिस बल पुणे	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त, उत्तर पश्चिमी, मुम्बई	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त, मध्य जोन, मुम्बई	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त, (अपराध), मुम्बई	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त, शस्त्र, मुम्बई	16400-450-20000रू0
पुलिस आयुक्त, शोलापुर	16400-450-20000रू0
अपर आयुक्त (अपराध), अन्वेषण विभाग, (आसूचना) मुम्बई	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिदेशक राज्य आरक्षित पुलिस बल नागपुर	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त/उप पुलिस निदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महाराष्ट्र राज्य मुम्बई	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिदेशक- (पीएडब्लु)	16400-450-20000रू0
महिला विरूद्ध अत्याचार निवारण मुम्बई, अपर आयुक्त, मुम्बई	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त, एस.बी. (1) मुम्बई.	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक, जी.आई.डी. (अपराध) पुणे	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (स्था.) महाराष्ट्र राज्य	.6400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (लैंड ओ) महाराष्ट्र राज्य	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण और विशेष यूनिट नासिक	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक महाराष्ट्र पुलिस अकादमी नासिक	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य आरक्षित पुलिस बल, मुम्बई	16400-450-20000रू0
अपर पुलिस आयुक्त संरक्षण और सुरक्षा, मुम्बई	16400-450-20000रू0

मणिपुर- त्रिपुरा

मणिपुर

महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	22400-525-24500रू0 (30 साल बाद)
अपर पुलिस महानिदेशक आपरेशन/तकनीकी सेवाएं	22400-525-24500रू0
अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था	22400-525-24500रू0
पुलिस महानिरीक्षक विधि व्यवस्था	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन और प्रशिक्षण	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिदेशक - आसूचना	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिदेशक आधुनिकीकरण संचार -योजना	18400-500-22400रू0

पुलिस उप महानिरीक्षक (ओपीएस और सशस्त्र पुलिस) I	18400-500-22400रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (ओपीएस और सशस्त्र पुलिस) II	18400-500-22400रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय/प्रशिक्षण)	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज I)	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज II)	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज III)	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक कल्याण/मानवाधिकार/सामाजिक न्याय	16400-450-20000रू0

त्रिपुरा

महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000रू0 (30 वर्ष की सेवा के पश्चात)
अपर पुलिस महानिदेशक	24050-650-26000रू0
पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक विधि व्यवस्था	18400-500-22400रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (ए.पी)	18400-500-22400रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय.)	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिदेशक (सीआईडी)	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिदेशक (रेंज)	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिदेशक (होम गार्ड)	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिदेशक (प्रशिक्षण)	16400-450-20000रू0

नागालैंड

पुलिस महानिदेशक	24050-650-26000रू0 (30 वर्ष की सेवा के पश्चात)
अपर पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500रू0
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)	18400-500-22400रू0
पुलिस उप महानिदेशक (आईएनटी और सीआईडी)	18400-500-22400रू0
पुलिस उप महानिदेशक (एनपीए/रेंज)	18400-500-22400रू0
कमांडेट जंनरल, होम गार्ड, निदेशक सिविल सुरक्षा	18400-500-22400रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय.)	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - रेंज-मोकाकचंग	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - रेंज कोहिमा	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - प्रशिक्षण	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - सीआईडी	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - मानवाधिकार और सामाजिक न्याय	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - योजना/आधुनिकीकरण	16400-450-20000रू0

उड़ीसा

महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000रू0
अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक सीआईडी अपराध शाखा	22400-525-24500रू0
निदेशक सह अपर महानिदेशक आसूचना	22400-525-24500रू0
अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं- सह कमांडेंट जनरल होम गार्ड	22400-525-24500रू0
अपर पुलिस महानिदेशक एसएपी	22400-525-24500रू0
पुलिस महानिरीक्षक जेल, और निदेशक और पुलिस अपर महानिदेशक के रैंक में करेक्शनल सर्विस	22400-525-24500रू0
अपर महानिदेशक (सतर्कता)	22400-525-24500रू0
अपर पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना)	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिदेशक, सीआईडी अपराध शाखा	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता)	18400-500-22400रू0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)	18400-500-22400रू0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक - तकनीकी सेवाए और आधुनिकीकरण	18400-500-22400रू0
निदेशक(एचआरपीसी)	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिदेशक	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिदेशक,न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं	18400-500-22400रू0
अपर कमांडेंट जनरल,होम गार्ड और विशेष पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन सेवा	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक ,(प्रशिक्षण)	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिदेशक,एसएपी	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक ,तकनीकी सेवाएं	18400-500-22400रू0
विशेष पुलिस महानिरीक्षक ,मुख्यालय	18400-500-22400रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज	16400-450-20000रू0
प्रधानाचार्य,पीटीसी, अंगुल	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक -सर्तकता	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - प्रशासन	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - वित्त	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - तकनीकी	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - प्रशिक्षण	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक होमगार्ड	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक आधुनिकीकरण	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - मानवाधिकार और सामाजिक न्याय	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - मुख्यालय	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - आसूचना	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक - सीआईडी/अपराध	16400-450-20000रू0

पंजाब

महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000रू0
अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन,पीबी,चंडीगढ	24050-650-26000रू0
अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन,पंजाब,चंडीगढ	22400-525-24500 रू0
अपर पुलिस महानिदेशक आसूचना,पंजाब,चंडीगढ	22400-525-24500रू0
अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण,पंजाब,चंडीगढ	22400-525-24500रू0
अपर पुलिस महानिदेशक पीएपी, जालंधर	22400-525-24500रू0
पुलिस महानिरीक्षक सह निदेशक पीपीए, भिलापूर	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक कम्प्यूटर पंजाब,चंडीगढ	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक आइआरबी पंजाब,पटियाला	18400-500-22400रू0

पुलिस महानिरीक्षक, जोनल I पंजाब, पटियाला	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, जोनल II पंजाब, जालंधर	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, जीआरपी पंजाब, जालंधर	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, कमांडो पंजाब, बहादुरगढ पटियाला	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, पीएपी जालंधर कैंट	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, अपराध	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, सीमा अमृतसर	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	18400-500-22400
पुलिस महानिरीक्षक, उपबंध और नियम	18400-500-22400रू0
निदेशक- सतर्कता ब्यूरो	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक- (पीपीए) (प्रशासन), जालंधर, क्राईम (पंजाब), चंडीगढ, जेआर, जालंधर, एफआर, फिरोजपूर, पीआर, पटियाला	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेल पंजाब	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, आसूचना	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण	16400-450-20000रू0
केन्द्रीय पुलिस अधिकारी, चंडीगढ, पंजाब,	16400-450-20000रू0
निदशक, पुलिस प्रशिक्षण कालेज फिल्लौर	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, चंडीगढ	16400-450-20000रू0
कमांडेट जनरल, पंजाब होम गार्ड और निदेशक सिविल डिफेंस, पंजाब	18400-500-22400रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन सीडीओ बहादुरगढ	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, बीआर, अमृतसर	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, काउंटर आसूचना पंजाब, चंडीगढ	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन आईआरबी पटियाला	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पीएपी, जालंधर	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पीएपी, चंडीगढ	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, सुरक्षा, पंजाब, चंडीगढ	16400-450-20000रू0
पुलिस उप महानिरीक्षक, कंप्यूटीकरण और आधुनिकीकरण	16400-450-20000रू0

राजस्थान

महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24050-650-26000रू0
पुलिस महानिदेशक, राजस्थान राज्य ब्यूरो	24050-650-26000रू0
अपर पुलिस महानिदेशक होम गार्ड और सिविल डिफेंस	22400-525-24500रू0
अपर पुलिस महानिदेशक, आसूचना, ला एंड आर्डर	22400-525-24500रू0
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध/सुरक्षा	22400-525-24500रू0
पुलिस महानिरीक्षक, अपराध	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, ला एंड आर्डर	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, आरएसी	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	18400-500-22400रू0
निदेशक, राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो	18400-500-22400रू0
निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, यातायात	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक, हरिजन अत्याचार	18400-500-22400रू0

पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक, सर्तकता और भ्रष्टाचार निवारण	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, सीबी	18400-500-22400रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय	16400-450-20000रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक, सुरक्षा	16400-450-20000रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएसी	16400-450-20000रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआईडी, सीबी	16400-450-20000रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक, आपरेशन	16400-450-20000रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक	16400-450-20000रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे	16400-450-20000रु0
निदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो	16400-450-20000रु0

सिक्किम

पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500रु0
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस, प्रशिक्षण और अपराध	18400-500-22400रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष शाखा	16400-450-20000रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज	16400-450-20000रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण	16400-450-20000रु0
पुलिस उप महानिरीक्षक - योजना/आधुनिकीकरण/ संचार	16400-450-20000रु0

तमिलनाडू

पुलिस महानिदेशक	24050-650-26000रु0
निदेशक, सर्तकता और भ्रष्टाचार निरोधक, चैन्नई	24050-650-26000रु0
अपर पुलिस महानिदेशक-आसूचना, चैन्नई	22400-525-24500रु0
अपर पुलिस महानिदेशक/आयुक्त, वृहत चैन्नई	22400-525-24500रु0
अपर पुलिस महानिदेशक-अपराध, चैन्नई	22400-525-24500रु0
अपर पुलिस महानिदेशक-आर्थिक अपराध विंग, चैन्नई	22400-525-24500रु0
अपर पुलिस महानिदेशक-नागरिक आपूर्ती, सीआईडी, चैन्नई	22400-525-24500रु0
अपर पुलिस महानिदेशक-सीआईडी(समाजिक न्याय)	22400-525-24500रु0
पुलिस महानिरीक्षक-विधि व्यवस्था, चैन्नई	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना, चैन्नई	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-अपराध, सीआईडी, चैन्नई	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-तकनीकी सेवाएं, चैन्नई	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण, चैन्नई	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, चैन्नई	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-निदेशक नागरिक सुरक्षा और उप कमांडेंट जनरल, होम गार्डर्स, चैन्नई	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-तटीय सुरक्षा, चैन्नई	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-अपर आयुक्त पुलिस, वृहत चैन्नई	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-सदस्य सचिव, टीएनयूएसआरबी	18400-500-22400रु0
पुलिस महानिरीक्षक-पुलिस आयुक्त, मदुरई शहर	18400-500-22400रु0
पुलिस महानीरीक्षक-रेल	18400-500-22400रु0

	पुलिस महानिरीक्षक-संयुक्त निदेशक, वेंड एसी, चैन्नई	18400-500-22400रु0
	पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन, चैन्नई	18400-500-22400रु0
	पुलिस महानिरीक्षक-विधि व्यवस्था, दक्षिण जोन, मदुरई	18400-500-22400रु0
	पुलिस महानिरीक्षक-आपरेशन, चैन्नई	18400-500-22400रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-चेंगलपट्टू	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-वैल्लोर	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-कोयंबटूर	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-त्रिची	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-मदुरई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-रामनाथपुरम	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-तिरुमवेली	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-विल्लूपुरम	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-थंजावुर	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-थंजावुर	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-डींडीगुल	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-सीओपी, सेलम	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-सीओपी, तिरुनवेली	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-सीआईडी, आसूचना, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-सीबी, सीआईडी, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-प्रशासन, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-मुख्यालय, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-क्यू शाखा, सीआईडी, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-प्रशिक्षण, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-मानव अधिकार/समाजिक न्याय/सीआईडी, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-केन्द्रीय चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-यातायात, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उपमहानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	उप निदेशक, सर्तकता और भ्रष्टाचार निरोधक, चैन्नई	16400-450-20000रु0
	पुलिस उप महानिरीक्षक	
उत्तरांचल		
	पुलिस महानिदेशक	24050-650-26000रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक - कार्मिक	22400-525-24500रु0
	पुलिस महानीरीक्षक - मुख्यालय	18400-500-22400रु0
	पुलिस महानीरीक्षक	18400-500-22400रु0
	पुलिस उप महानिरीक्षक - मुख्यालय	16400-450-20000रु0
	पुलिस महानीरीक्षक	16400-450-20000रु0
उत्तर प्रदेश		
	पुलिस महानिदेशक	24050-650-26000रु0
	निदेशक, नागरिक सुरक्षा-सह-कमांडेंट जनरल, होम गार्डस	24050-650-26000रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ.प्र. लखनऊ	22400-525-24500रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, लखनऊ	22400-525-24500रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक, विधि व्यवस्था. लखनऊ	22400-525-24500रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ.प्र. लखनऊ	22400-525-24500रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक, रेल पुलिस, लखनऊ	22400-525-24500रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. नेपाल सीमा, लखनऊ	22400-525-24500रु0
	अपर पुलिस महानिदेशक,	22400-525-24500रु0

पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन लखनऊ	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-विधि व्यवस्था, लखनऊ	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-पीएसी,मुख्यालय, लखनऊ	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-सुरक्षा,आईएनटी, लखनऊ	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-अग्निशमन सेवाएं	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-इलाहाबाद जोन	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-गोरखपुर जोन	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-कानपुर जोन	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-लखनऊ जोन	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-वाराणसी जोन	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-गोंडा जोन	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक, देवी पाटन रेंज, गोंडा	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक, चित्रकूट धाम रेंज, बांदा	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,आगरा रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,इलाहाबाद रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,आजमगढ़ रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,बरेली रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,फैजाबाद रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,गोरखपुर रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,झांसी रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,कानपुर रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,लखनऊ रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,मेरठ रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,मुरादाबाद रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,मिर्जापुर रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,सहारनपुर रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक,वाराणसी रेंज	16400-450-20000रू0
उप पुलिस महानिरीक्षक	16400-450-20000रू0

पश्चिमी बंगाल

महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमी बंगाल	24050-650-26000रू0
कमांडेंट जनरल - होम गार्डर्स, पश्चिमी बंगाल	24050-650-26000रू0
पुलिस आयुक्त, कोलकाता	22400-525-24500रू0
अपर पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500रू0
पुलिस महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-मुख्यालय	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-अपराध अन्वेषण-।	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-प्रवर्तन	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-संगठन	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-रेल	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-दूरसंचार	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-उत्तरी बंगाल	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-दक्षिणी बंगाल	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-पश्चिमी रेंज	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-यातायात	18400-500-22400रू0

पुलिस महानिरीक्षक-यातायात	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-अपराधिक अन्वेषण-II	18400-500-22400रू0
अपर पुलिस आयुक्त-I, कोलकाता	18400-500-22400रू0
अपर पुलिस आयुकत-II, कोलकाता	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना), सीमा	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना, उत्तरी बंगाल	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक- कल्याण	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-कारागार	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-विधि व्यवस्था	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-सर्तकता आयोग	18400-500-22400रू0
अपर पुलिस आयुक्त, कोलकाता-III	18400-500-22400रू0
पुलिस महानिरीक्षक-मानव अधिकार आयोग	18400-500-22400रू0
संयुक्त पुलिस आयुक्त-(सशस्त्र पुलिस) कोलकाता	16400-450-20000रू0
संयुक्त पुलिस आयुक्त-(संगठन) कोलकाता	16400-450-20000रू0
संयुक्त पुलिस आयुक्त-(प्रशासन) कोलकाता	16400-450-20000रू0
संयुक्त पुलिस आयुक्त-यातायात कोलकाता	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - मुख्यालय	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - प्रशासन	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - संगठन	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -कार्मिक	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -योजना और कल्याण	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -सतर्कता	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -रेल	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -यातायात	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -प्रेसीडेंसी रेंज	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -बर्दवान रेंज	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -मिदनापुर रेंज	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -मुर्शिदाबाद रेंज	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -मालदा रेंज	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -जलपायगुड़ी रेंज	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -आसूचना शाखा	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -सीमा आसूचना	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -सुरक्षा, आईबी	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -सीआईडी, पश्चिमी बंगाल	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -आपरेशन, सीआईडी	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -सीआईडी, विशेष	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -अभियोजन	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -सशस्त्र पुलिस बैरकपुर	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -सशस्त्र पुलिस, दुर्गा	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -सशस्त्र पुलिस, सिलीगुडी	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -एपी, इफआर बीएनएस	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -प्रवर्तन ब्रांच	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक-सह-प्रधान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, बैरेकपुर	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -होम गार्ड्स	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक - नियंत्रक, सामाजिक सुरक्षा	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो	16400-450-20000रू0
पुलिस उपमहानिरीक्षक -आधुनिकीकरण/समन्वय	16400-450-20000रू0

II- ख वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता आहरित करने वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पद (1) राज्य काडर में चयन श्रेणी में पदों की संख्या राज्य में ज्येष्ठ पदों के न्यूनतम 15 प्रतिशत के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठ काल वेतनमान में वेतन वाले पदों की संख्या का घटा कर राज्य में ज्येष्ठ पदों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत के बराबर होगी :

स्पष्टीकरण (i) "राज्य में ज्येष्ठ पदों" पद से आशय भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची की मद 1 में यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार के अधीन ज्येष्ठ पद अभिप्रेत है ।

(ii) इस खंड के अधीन चयन श्रेणी पदों की संख्या प्राधिकृत संख्या के आधार पर निश्चित की जाएगी और किसी काडर के प्रास्थगन में अस्थाययी परिवर्धन या अस्थाई रूप से धारण करने के परिणामिक कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

(2) संबंधित राज्य सरकार अनुसूची के इस भाग में विनिर्दिष्ट किन्ही पदों के लिए या तो व्यष्टिक रूप से या ऐसे पदों के किसी समूह या वर्ग के प्रतिनिर्देश से विशेष भत्ता अनुदत्त करने के लिए सक्षम होगी ।

(3) किसी विशेष भत्ते की रकम जो राज्य सरकारों द्वारा खंड 2 के अधीन मंजूर की जाए कनिष्ठ काल वेतनमान में पदों के लिए 400 रुपए, ज्येष्ठ काल वेतनमान में पदों के लिए 600 रुपए, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों के लिए 800 रुपए और चयन श्रेणी में पदों के लिए 1000 रुपए होगी ।

(4) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में पद को अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है किन्तु ऐसे पदों से संलग्न किसी विशेष वेतन को मंजूर करना संबंधित राज्य सरकार की सक्षमता के अधीन होगा ।

आंध्र प्रदेश

कमांडेंट-एपी, विशेष पुलिस बटालियन
पुलिस अधीक्षक (जिला)
कमांडेंट-एसएआर, सीपीएल
पुलिस अधीक्षक-महिला संरक्षण सेल, सीआईडी
पुलिस अधीक्षक-(रेल)
पुलिस अधीक्षक-(रेल गुंटाकाल)
पुलिस अधीक्षक-(आसूचना I, II, III और iv)
पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) हैदराबाद शहर ; पूर्व ; उत्तर ; पश्चिमी और दक्षिणी जोन
विशेष शाखा-नगर ; यातायात और शहर, अपराध और कार मुख्यालय
पुलिस अधीक्षक, (सर्तकता सेल, सीएसडी, विशाखापटनम)
संयुक्त निदेशक, (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)
पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा
प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय
ग्रुप कमांडर-ग्रेहाउंड
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी, विशाखापटनम

अगमुट

(i) अरुणाचल प्रदेश
पुलिस अधीक्षक - जिले

(ii) गोवा
पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी

(iii) मिजोरम

पुलिस अधीक्षक-जिला

पुलिस अधीक्षक-जिला
पुलिस अधीक्षक-अपराध/मुख्यालय
कमांडेंट, मिजोरम सशस्त्र पुलिस

(iv) दिल्ली

उप पुलिस उपायुक्त (जिला)
अपर उप पुलिस आयुक्त (जिला)
पुलिस उपायुक्त (एस.बी.)
पुलिस उपायुक्त (एस.ई.सी.)
पुलिस उपायुक्त (टी.आर.एफ.)
पुलिस उपायुक्त (सतर्कता)
पुलिस उपायुक्त (आईजीआई विमान पत्तन)
पुलिस उपायुक्त (अपराध)
पुलिस उपायुक्त (पीटीसी)
पुलिस उपायुक्त (बटालियन)

(v) अंदमान और निकोबार

पुलिस अधीक्षक-जिला

(vi) लक्षद्वीप प्रशासन

पुलिस अधीक्षक

(vii) पांडीचेरी

पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय
पुलिस अधीक्षक-अपराध और आसूचना

असम-मेघालय

असम

पुलिस अधीक्षक-डिब्रुगढ़
पुलिस अधीक्षक-जोरहाट
पुलिस अधीक्षक-गोलाघाट
पुलिस अधीक्षक-सिबसागर
पुलिस अधीक्षक-नागांव
पुलिस अधीक्षक-करबी अंगलांग
पुलिस अधीक्षक-एन.सी.हिल्स
पुलिस अधीक्षक-काचर
पुलिस अधीक्षक-करीमगंज
पुलिस अधीक्षक-कामरूप
पुलिस अधीक्षक-गुवाहाटी शहर
पुलिस अधीक्षक-नलबारी
पुलिस अधीक्षक-बारपेटा
पुलिस अधीक्षक-कोकराझार
पुलिस अधीक्षक-गोलपारा
पुलिस अधीक्षक-धुबरी

पुलिस अधीक्षक-दरांग
पुलिस अधीक्षक-सोनितपुर
पुलिस अधीक्षक-लखीमपुर
पुलिस अधीक्षक-धेमाजी
पुलिस अधीक्षक-तिनसुकिया
एसआरपी असम, पांडु
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-(पीएचक्यू)
विशेष पुलिस अधीक्षक (सीआईडी), असम
पुलिस अधीक्षक-एसबी (स्था.),असम
पुलिस अधीक्षक-(पी एससी. I),असम
कमांडेंट 1 एपी बीएन
कमांडेंट 2 एपी बीएन
कमांडेंट 4 बीएन
प्रधानाचार्या-पीटीसी, डेरगांव

मेघालय

पुलिस अधीक्षक-जिला
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल
कमांडेंट, पुलिस बटालियन

बिहार

ज्येष्ठ, पुलिस अधीक्षक, पटना
पुलिस अधीक्षक, नालंदा
पुलिस अधीक्षक, रोहतास
पुलिस अधीक्षक, भोजपुर
पुलिस अधीक्षक, बक्सर
पुलिस अधीक्षक, भाबुआ (कैमूर)
पुलिस अधीक्षक, गया
पुलिस अधीक्षक, नवादा
पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद
पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद
पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर
पुलिस अधीक्षक,वैशाली
पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी
पुलिस अधीक्षक,सारन
पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज
पुलिस अधीक्षक, सीवान
पुलिस अधीक्षक, मोतीहारी
पुलिस अधीक्षक, बेतिया
पुलिस अधीक्षक, दरभंगा
पुलिस अधीक्षक, मधुबनी
पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर

पुलिस अधीक्षक, पुरनिया
पुलिस अधीक्षक, कटिहार
पुलिस अधीक्षक, अररिया
पुलिस अधीक्षक, किशनगंज
पुलिस अधीक्षक, सहरसा
पुलिस अधीक्षक, सुपाल
पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा
पुलिस अधीक्षक, भागलपुर
पुलिस अधीक्षक, बांका
पुलिस अधीक्षक, नौगछिया
पुलिस अधीक्षक, मुंगेर
पुलिस अधीक्षक, जमुई
पुलिस अधीक्षक, लखीसराई
पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा
पुलिस अधीक्षक, खगड़िया
पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय
पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट

छत्तीसगढ़

पुलिस अधीक्षक-जिला
पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट

गुजरात

जिला पुलिस अधीक्षक, अहमदाबाद ग्रामीण
जिला पुलिस अधीक्षक, खेड़ा उत्तर
जिला पुलिस अधीक्षक, आनंद
जिला पुलिस अधीक्षक, साबरकांठा, हिम्मतनगर
जिला पुलिस अधीक्षक, मेहसाना
जिला पुलिस अधीक्षक, गांधीनगर
जिला पुलिस अधीक्षक, पाटन
जिला पुलिस अधीक्षक, अमरेली
जिला पुलिस अधीक्षक, भावनगर
जिला पुलिस अधीक्षक, जूनागढ़
जिला पुलिस अधीक्षक, पोरबंदर
जिला पुलिस अधीक्षक, जामनगर
जिला पुलिस अधीक्षक, राजकोट ग्रामीण
जिला पुलिस अधीक्षक,सुरेन्द्रनगर
जिला पुलिस अधीक्षक, बरुच्
जिला पुलिस अधीक्षक, पंचमहल, गोधरा
जिला पुलिस अधीक्षक, वडोदरा ग्रामीण
जिला पुलिस अधीक्षक, वलसाड़
जिला पुलिस अधीक्षक, सूरत ग्रामीण
जिला पुलिस अधीक्षक, बानसकांथा, पालनपुर
जिला पुलिस अधीक्षक, कच्छ-भुज
पुलिस उप आयुक्त, जोन-I,अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद
पुलिस उप आयुक्त, जोन-iv,अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद

पुलिस उप आयुक्त, यातायात, अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद
पुलिस उप आयुक्त, प्रशासन, अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद
पुलिस उप आयुक्त, मुख्यालय,अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद
पुलिस उप आयुक्त, जोन-vi,अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद
पुलिस उप आयुक्त, विशेष ब्रांच, अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद
पुलिस उप आयुक्त, (दक्षिणी प्रभाग), वडोदरा
उप निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अहमदाबाद
पुलिस अधीक्षक-(आसूचना), अहमादाबाद
पुलिस अधीक्षक-(i), अहमादाबाद
पुलिस अधीक्षक-(आसूचना),सीआईडी, अपराध, अहमादाबाद
पुलिस अधीक्षक-पश्चिमी रेलवे, वडोदरा
कमांडेंट-राज्य रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप-I, वडोदरा
कमांडेंट-राज्य रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप-II, अहमदाबाद
कमांडेंट-राज्य रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप-III, गोंडल
पुलिस अधीक्षक-(आपरेशन), एंटी-टेररिस्ट स्काड, अहमदाबाद
कमांडेंट-राज्य रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप-vii नडियाड
उप निदेशक-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अहमदाबाद
कमांडेंट-राज्य रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप-ix वड़ोदरा
पुलिस अधीक्षक-नारकोटिक्स, गुजरात राज्य, अहमदाबाद
उपप्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कालेज, जूनागढ़

हरियाणा

पुलिस अधीक्षक-जिले
पुलिस अधीक्षक-रेलवे
हरियाणा सशस्त्र पुलिस कमांडेंट
पुलिस अधीक्षक- राज्य सर्तकता ब्यूरो
सहायक उपपुलिस महानिरीक्षक-सीआईडी
पुलिस अधीक्षक-विशेष
पुलिस अधीक्षक-अपराध
पुलिस अधीक्षक-सुरक्षा
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-टी और टी(तकनीकी)
उपनिदेशक-पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय
उप कमांडेंट जनरल, होम गार्डस

हिमाचल प्रदेश

सहायक पुलिस महानिरीक्षक-मुख्यालय
कमांडेंट-बटालियन
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी/अपराध शाखा
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी
पुलिस अधीक्षक-सतर्कता
पुलिस अधीक्षक-प्रवर्तन
पुलिस अधीक्षक-जिले

जम्मू-कश्मीर

सहायक पुलिस महानिरीक्षक

सहायक पुलिस महानिरीक्षक-कल्याण
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-यातायात
पुलिस अधीक्षक-जिले
पुलिस अधीक्षक-यातायात
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी सीआई
पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा
पुलिस अधीक्षक-अपराध और रेल
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी मुख्यालय
पुलिस अधीक्षक-सतर्कता

कमांडेंट, सशस्त्र पुलिस

झारखंड

पुलिस अधीक्षक-जिले

पुलिस अधीक्षक

कर्नाटक

पुलिस उपायुक्त
जिला पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक-रेल
पुलिस अधीक्षक-आसूचना
पुलिस अधीक्षक-कार्पस ऑफ डिटेक्टिव
उप कमांडेंट जनरल, होम गार्डर्स और पदेन
सिविल सुरक्षा के उपनिदेशक, बेंगलोर

केरल

सहायक पुलिस महानिरीक्षक
आयुक्त, पुलिस अर्नाकुलम शहर
पुलिस आयुक्त, कोझीकोड शहर
पुलिस आयुक्त, सशस्त्र पुलिस बटालियन
पुलिस आयुक्त, थिरुवनंतपुरम
पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा,सीआईडी
पुलिस अधीक्षक-अपराध शाखा, सीआईडी
पुलिस अधीक्षक-रेल
पुलिस अधीक्षक-जिले
पुलिस अधीक्षक-सतर्कता
प्रिंसीपल, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय

मध्य प्रदेश

पुलिस अधीक्षक-जिले
पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट

महाराष्ट्र

उप सीपी - जोन I से VII, मुम्बई
उप सीपी -स्थापक प्रकोष्ठ, मुम्बई
उप सीपी - जोन II, III और अपराध, ठाणे
उप सीपी - जोन I, II और विशेष शाखा, पुणे
उप सीपी - जोन I, III और विशेष शाखा, नागपुर
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-(प्रशासन), मुम्बई
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी(अपराध) अनुसंधान, पुणे
उप सीपी-सीआईडी (ईंट.) मुम्बई (राजनैतिक), (सुरक्षा)
पुलिस अधीक्षक-रेल, मुम्बई/पुणे/नागपुर
जिला पुलिस अधीक्षक
कमांडेंट राज्य आरक्षित पुलिस बल, जीआर I, पुणे, जिआर II, पुणे, जीआर iv नागपुर

मणिपुर-त्रिपुरा

मणिपुर

जयेष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिले
पुलिस अधीक्षक, (सीआईडी)
पुलिस अधीक्षक, (अपराध)
पुलिस अधीक्षक, (सर्तकता)
पुलिस अधीक्षक, (सीमा मामले)
कमांडेंट (एम.आर.)
कमांडेंट-(होम गार्ड्स)
अपर पुलिस अधीक्षक

त्रिपुरा

पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा
पुलिस अधोक्षक-सतर्कता
पुलिस अधीक्षक-मोबाईल टास्क फोर्स
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी
पुलिस अधीक्षक-प्रवर्तन
पुलिस अधीक्षक-उपापन
पुलिस अधीक्षक-आपरेशन
कमांडेंट-होम गार्डस
कमांडेंट-सीटीआई
प्रधानाचार्य, पीटीसी
अपर पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा
अपर पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-मुख्यालय
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-आपरेशन

नागालैंड

पुलिस अधीक्षक-जिले (कोहिमा, मुकोचुंग, टवेनसंग, जुहेबोटो, मोन, वोक्हा, फेक, दीमापुर, पेरेन और किफेरे)

पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा
कमांडेंट नागालैंड सशस्त्र पुलिस बटालियन
कमांडेंट, एनएपीटीसी
प्रिंसीपल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय

उड़ीसा

पुलिस अधीक्षक-जिले
पुलिस अधीक्षक-सतर्कता
पुलिस अधीक्षक-अपराध शाखा
पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-राज्य पुलिस मुख्यालय
पुलिस अधीक्षक-रेल
कमांडेंट
अपर पुलिस अधीक्षक-जिले

पंजाब

पुलिस अधीक्षक-जिले-जालंधर,अमृतसर,गुरदासपुर,पटियाला,
लुधियाना,संगरूर,फिरोजपुर,फरीदकोट,भटिंडा,कपूरथला,रोपड़, होशियारपुर)
पुलिस अधीक्षक-शहर,अमृतसर और लुधियाना
पुलिस अधीक्षक-विशेष कर्मचारिवृंद, पंजाब
पुलिस अधीक्षक-सतर्कता ब्यूरो, चंडिगढ़
पुलिस अधीक्षक-रेल, पंजाब, पटियाला
संयुक्त निदेशक, सतर्कता, पंजाब
पुलिस अधीक्षक-कमांडेंट,पीएपी
उप निदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, फिल्लौर
पुलिस अधीक्षक-काउंटर आसूचना
पुलिस अधीक्षक-सतर्कता ब्यूरो, पटियाला
पुलिस अधीक्षक-सतर्कता ब्यूरो, फिरोजपुर
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी, अमृतसर
कमांडेंट पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण जहानखेलान
कमांडेंट, 27 बीएन., पीएपी, जालंधर
कमांडेंट, भारतीय रिजर्व बटालियन
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-कल्याण

राजस्थान

पुलिस अधीक्षक-जिले
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी (अपराध)
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी (आसूचना)
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी (हरिजन अत्याचार)
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी (सुरक्षा)
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी (सतर्कता)
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी (एसबी), जोधपुर
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी सीबी

पुलिस अधीक्षक-रेल
पुलिस अधीक्षक-भ्रष्टाचार निरोधक
उप निदेशक और प्रधानाचार्य-राजस्थान पुलिस अकादमी
कमांडेंट-आरएसी
प्रधानाचार्य-एपीसीपी और आरएसी प्रशिक्षण केन्द्र
प्रधानाचार्य-आरपीटीसी

सिक्कम

पुलिस अधीक्षक-जिले
पुलिस अधीक्षक-अपराध
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
कमांडेंट-एसएपी

तमिलनाडु

पुलिस अधीक्षक-जिले (चेंगलपट पूर्व, कांचीपुरम, थिरुवल्लूर, विल्लूपुरम, कड्डालोर, तिरुवनामल्लई, वैल्लोर, सलेम, नमक्कल, धर्मपुरी, कोयम्बतूर, पेरियार, नीलगीरी, तिरुचिरापल्ली, पुड्डूकोट्टई, करूर, पेरामबलूर, थंजावूर, नागापट्टीनम, तिरुवर, मदुरई, विरुद्धानगर, डिंडिगुल, थेनी, रामनंथापुरम, सिवागंगई, तिरुनेवेली, चिदामबर्नर, कन्याकुमारी)

पुलिस अधीक्षक-डीवीएसी, चैन्नई
पुलिस अधीक्षक-सीबी/सीआईडी/विशेष शाखा
पुलिस सहायक महानिरीक्षक-प्रशासन, चैन्नई
पुलिस सहायक महानिरीक्षक-मुख्यालय., चैन्नई
पुलिस उपायुक्त विधि व्यवस्था, मदुरई शहर
पुलिस उपायुक्त विधि व्यवस्था, कोयम्बतूर शहर
पुलिस उपायुक्त विधि व्यवस्था, सलेम
पुलिस उपायुक्त विधि व्यवस्था, त्रिची
पुलिस उपायुक्त विधि व्यवस्था, तिरुनवेली
पुलिस उपायुक्त सुरक्षा और एंटी हाइजैकिंग, चैन्नई
पुलिस अधीक्षक-स्वापक आसूचना ब्यूरो, चैन्नई
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, चैन्नई
कमांडेंट, टीएसपी बटालियन/संयुक्त पुलिस अधीक्षक

उत्तरांचल
पुलिस अधीक्षक-जिले/कमांडेंट

उत्तर प्रदेश

पुलिस अधीक्षक-आई/सी जिले
पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट

पश्चिमी बंगाल

कमांडेंट-इस्टर्न फ्रन्टियर रायफल्स, पहली बटालियन
कमांडेंट-इस्टर्न फ्रन्टियर रायफल्स, दूसरी बटालियन
कमांडेंट-इस्टर्न फ्रन्टियर रायफल्स, तीसरी बटालियन
पुलिस अधीक्षक, हावड़ा
पुलिस अधीक्षक-नादिया

पुलिस अधीक्षक-दक्षिणी 24 पीजीएस
पुलिस अधीक्षक-मुर्शिदाबाद
पुलिस अधीक्षक-बर्दवान
पुलिस अधीक्षक-हुगली
पुलिस अधीक्षक-बांकुरा
पुलिस अधीक्षक-मिदनापुर
पुलिस अधीक्षक-पुरुलिया
पुलिस अधीक्षक-जलपाईगुड़ी
पुलिस अधीक्षक-कूचबिहार
पुलिस अधीक्षक-दार्जिलिंग
पुलिस अधीक्षक-माल्दा
पुलिस अधीक्षक-दक्षिण दिनाजपुर
पुलिस अधीक्षक-उत्तरी 25 पीजीएस
कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, पहली बटालियन
कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, दूसरी बटालियन
कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, तीसरी बटालियन
कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, चौथी बटालियन
कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, पांचवी बटालियन
विशेष पुलिस अधीक्षक-आसूचना शाखा, पश्चिमी बंगाल
विशेष पुलिस अधीक्षक-आपराधिक विभाग, पश्चिमी बंगाल
विशेष पुलिस अधीक्षक-आसूचना शाखा, सिलीगुड़ी, पश्चिमी बंगाल
पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, हावड़ा
पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, सियालदा
पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, सिलीगुड़ी
पुलिस अधीक्षक-वायु पत्तन
पुलिस उपायुक्त-मुख्यालय, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-यातायात, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-प्रवर्तन शाखा, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-गुप्तचर विभाग, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-विशेष शाखा, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-केन्द्रीय प्रभाग, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-पूर्वी उपनगर प्रभाग, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-सुरक्षा नियंत्रण (I), कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-पत्तन प्रभाग, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-आरक्षित बल, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-उत्तरी प्रभाग, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-बेतार शाखा, कोलकाता
पुलिस उपायुक्त-कलकत्ता सशस्त्र पुलिस, दूसरी बटालियन
पुलिस उपायुक्त-कलकत्ता सशस्त्र पुलिस, तीसरी बटालियन
पुलिस उपायुक्त-कलकत्ता सशस्त्र पुलिस, चौथी बटालियन
पुलिस उपायुक्त-कलकत्ता सशस्त्र पुलिस, पांचवी बटालियन
पुलिस उपायुक्त डी.डी.(विशेष) कलकत्ता
अपर पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, दार्जिलिंग
अपर पुलिस अधीक्षक-बरासात, उत्तरी-24 परगनास
अपर पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, हावड़ा
अपर पुलिस अधीक्षक-हूगली
अपर पुलिस अधीक्षक-नादिया
अपर पुलिस अधीक्षक-आसनसोल

अपर पुलिस अधीक्षक-मुर्शिदाबाद
अपर पुलिस अधीक्षक-पुरुलिया
अपर पुलिस अधीक्षक-खड़गपुर
अपर पुलिस अधीक्षक-जलपाईगुड़ी
अपर पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, दक्षिणी 24 परगना
अपर पुलिस अधीक्षक-सिलीगुड़ी
अपर पुलिस अधीक्षक-बीरभूम
अपर पुलिस अधीक्षक-बांकुरा
अपर पुलिस अधीक्षक-मालदा
अपर पुलिस अधीक्षक-उत्तर दिनाजपुर
अपर पुलिस अधीक्षक-दक्षिण दिनाजपुर
अपर पुलिस अधीक्षक-कूचबेहर

II- ग केन्द्रीय सरकार के अधीन काल वेतनमान के वेतन के अतिरिक्त काल वेतनमान या केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ते से अधिक वेतन वाले पद, जब सेवा के सदस्यों द्वारा धारित किए जाएं ।

क्रम सं0	कार्यालय या संघ राज्यक्षेत्र	पदों की विशिष्टियां	वेतन/वेतनमान	केन्द्रीय (पदावधि के रूप में प्रतिनियुक्ति) भत्ता
(1)	(2)	(3)	(4) रु0	(5) रु0
1.	आसूचना ब्यूरो	निदेशक	26000	-
		अपर निदेशक	22400-525-24500	-
		संयुक्त निदेशक	18400-500-22400	-
		उप निदेशक	16400-450-20000	800
		सहायक निदेशक	ज्येष्ठ वेतनमान/चयन श्रेणी	1000
		केन्द्रीय आसूचना अधिकारी	ज्येष्ठ वेतनमान/चयन श्रेणी	1000
		संयुक्त सहायक निदेशक	ज्येष्ठ वेतनमान	800
		उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी	कनिष्ठ वेतनमान	400
2.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	निदेशक	26000	-
		अपर निदेशक	22400-525-24500	-
		संयुक्त निदेशक/सीबीआई और विशेष आईजीपी, एसपीई	18400-500-22400	-
		पुलिस उप महानिरीक्षक	16400-450-20000	800
		उप निदेशक	16400-450-20000	800
		उप निदेशक सहायक आईजीपी, सीबीआई/ज्येष्टतम स्थानीय शाखाओं में ज्येष्ठतम पुलिस अधीक्षक जहां किसी एक केन्द्रीय इकाई में एक से एक अधिक एसपी तैनात हैं जिनकी अखिल भारतीय अधिकारिता है	ज्येष्ठ वेतन मान या चयन श्रेणी	1000
		। ऊपर निर्दिष्ट से भिन्न सभी	ज्येष्ठ वेतन मान या	

		पुलिस अधीक्षक	चयन श्रेणी	800
3.	सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	निदेशक	24050-650-26000	-
		उप निदेशक	16400-450-20000	800
		सहायक निदेशक	ज्येष्ठ वेतनमान	1000
4.	सीमा सुरक्षा बल	महानिदेशक	26000	-
		महा निरीक्षक	18400-500-22400	-
		उप महानिरीक्षक/उप निदेशक	16400-450-20000	800
5.	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल	महानिदेशक	26000	-
		महानिरीक्षक	18400-500-22400	-
		पुलिस उप महानिरीक्षक/ उप निदेशक	16400-450-20000	800
		कमांडेंट/सहायक निदेशक	ज्येष्ट वेतनमान	1000
6.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	महानिदेशक	24050-650-26000	-
		उप महानिरीक्षक	16400-450-20000	800
7.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	महानिदेशक	26000	-
		महानिरीक्षक	18400-500-22400	-
		उप महानिरीक्षक	16400-450-20000	800
		सहायक महानिरीक्षक/कमांडेंट/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण महाविद्यालय		800
8.	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो	महानिदेशक	24050-650-26000	-
		निदेशक (प्रशिक्षण)	18400-500-22400	-
		निदेशक (अनुसंधान और विकास)	18400-500-22400	-
		उप निदेशक	16400-450-20000	800
		सहायक निदेशक	ज्येष्ठ वेतन मान या चयन श्रेणी	1000
		प्रिंसीपल, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, कलकत्ता चंडिगढ़ और हैदराबाद	ज्येष्ठ वेतन मान या चयन श्रेणी	1000
		उप-प्रधानाचार्य, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कलकत्ता चंडीगढ़ और हैदराबाद	ज्येष्ठ वेतन मान	800
9.	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	महा निदेशक	24050-650-26000	-
		निदेशक		
10.	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	उप निदेशक	18400-500-22400	-
		सहायक निदेशक	16400-450-20000	800
			ज्येष्ठ वेतन मान	1000
11.	रेलवे	महा निदेशक, आरपीएफ	26000	-
		आईजी-सह-मुख्य सुरक्षा आफिसर	18400-500-22400	-
		उप महानिरीक्षक/आरपीएसएफ और अपर निदेशक	16400-450-20000	800
		सुरक्षा/मुख्य सुरक्षा अधिकारी	ज्येष्ठ वेतन मान	800
12.	नागर विमानन	सुरक्षा आयुक्त	26000	-

टिप्पण 1- स्तंभ 5 में सभी सीडीसीए इस शर्त के अधीन होंगे कि वेतन धन सीडीटीए उन पदों के अधिकतम वेतनमान से अधिक नहीं होंगे जिसको सीडीटीए संलग्न है ।

टिप्पण 2- केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) इस नियम में विनिर्दिष्ट भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित केवल प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि के दौरान केवल सेवा सदस्यों को अनुज्ञेय होंगे ।

11-घ काल वेतममान के अतिरिक्त काल वेतनमान केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ते से अधिक वेतन वाले केन्द्रीय सचियालय में पद, जब सेवा के सदस्यों द्वारा धारित किए जाएं ।

पदों की विशिष्टियाँ	वेतन/वेतनमान	केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता
सचिव, भारत सरकार	26000	शून्य
अपर सचिव, भारत सरकार		शून्य
संयुक्त सचिव, भारत सरकार	18400-500-22400 रु0	शून्य
निदेशक, भारत सरकार	चयन श्रेणी	अधिकतम एक हजार रूपए प्रतिमास के अध्यधीन श्रेणी वेतन का 15%
उप सचिव, भारत सरकार	(i) चयन श्रेणी	अधिकतम एक हजार रूपए प्रतिमास के अध्यधीन श्रेणी वेतन का 15%
	(ii) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	अधिकतम एक हजार रूपए प्रतिमास के अध्यधीन श्रेणी वेतन का 15% और इस शर्त के भी अधीन कि वेतनधन केन्द्रीय (अवधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता श्रेणी के अधिकतम से अधिक नहीं होगा ।
अवर सचिव, भारत सरकार	(ii) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	अधिकतम एक हजार रूपए प्रतिमास के अध्यधीन श्रेणी वेतन का 15% और इस शर्त के भी अधीन कि वेतनधन केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं होगा ।
	(ii) ज्येष्ठ काल वेतनमान	अधिकतम आठ सौ रूपए प्रतिमास के अध्यधीन श्रेणी वेतन का 15% और इस शर्त के भी अधीन कि वेतनधन केन्द्रीय (अवधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पण: इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता इस सेवा के किसी सदस्य को केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित सामान्य पदावधि पर प्रतिनियुक्ति के दौरान ही अनुज्ञेय होगा ।

[फा. सं. 20011/1/2006-एआईएस-II]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)